तृतीय अध्याय

# हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याएँ

प्रास्ताविक :

किसी भी नये कार्य का आरंभ करते समय अड़चनें आना स्वाभाविक ही है। प्रायः अंग्रजीदाँ मानसिकतावाले व्यक्तियों के मन में हिंदी के प्रति विरोधी भावना परिलक्षित होती है। हिंदी कार्यान्वयन में आनेवाली यही सबसे बड़ी अड़चन है। परिवर्तन का विरोध होना स्वाभाविक ही है। जो परिवर्तन आसान होते हैं एवं अपनी इच्छा से तथा सहज होते हैं अथवा धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं उनका सहजता से स्वीकार किया जाता है। किंतु एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा का प्रयोग करते समय कष्ट उठाने पड़ते हैं, अधिक समय देना पड़ता है । मनुष्य की मानसिकता ही ऐसी होती है कि वह कम प्रयास में अधिक लाभ की आशा रखता है। जिस किसी काम में अधिक कष्ट की आवश्यकता होती है, वहाँ वह स्वाभाविक रूप से बहानेबाजी तथा विरोध करने लगता है। इसी कारण हिंदी में कामकाज करना टालने के लिए अनेक बहानों की आड ली जाती है। वास्तव में राजभाषा का कार्यान्वयन करना राष्ट्रीय कर्तव्य है । उसके लिए अधिक कष्ट उठाने पड़े तो भी उसके लिए तैयार रहना होगा। हिंदी-कार्यान्वयन में अनेक समस्याएँ आती हैं, उनमें से मुख्य समस्याओं का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है -

## ३.१ अधिकारी एवं कर्मचारियों की हिंदी विरोधी मानसिकता:

इस अध्याय में विवेचित समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या हिंदी विरोधी मानसिकता ही है। अगर इस मानसिकता में बदलाव आ जाएगा तो अन्य समस्याएँ अपनेआप सुलझ जाएगी, इसमें कोई आशंका नहीं । कोल्हापुर दूरसंचार ही नहीं अधिकांश सरकारी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों में हिंदी विरोधी मानसिकता के दर्शन होते हैं। यह हिंदी के कार्यान्वयन में आनेवाली सबसे बड़ी कठिनाई है। कुछ व्यक्ति गुलदस्ते में छिपाकर, तो कुछ व्यक्ति ना नहीं कहेंगे किंतु टालमटोलकर, तो कुछ लोग सीधे-सीधे हिंदी का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं।

हिंदी विरोधी मानसिकता के पीछे अनेक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है-अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के कारण अंग्रेजी की आदत होकर उसके प्रति अनुराग निर्माण होना। अधिकांश व्यक्तियों को हिंदी से अंग्रेजी में काम करना अधिक आसान एवं सहज लगता है। अंग्रेजी में सभी प्रकार के पत्राचार तैयार मिलते हैं, शायद इसलिए सभी को अंग्रेजी में काम करना आसान लगता है। हिंदी क्षेत्र के लोगों को भी अंग्रेजी में काम करना सहज प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि शालांत परीक्षाओं के पश्चात लोगों का हिंदी से संबंध ही कहा रहता है ? अधिकांश स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन अंग्रेजी माध्यम

द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर भी राजभाषा के बारे में अभिमान हो तो अनेक अड़चनों को पार करके उस तक पहुँचना कष्टसाध्य जरुर है, किंतु असाध्य नहीं।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्माजी कहते हैं-" हिंदी की सबसे पहली और सबसे बडी समस्या है मनोवैज्ञानिक। जिस दिन यह समस्या सुलझ जाएगी उस दिन राजभाषा और राष्ट्रभाषा का प्रश्न आप-से-आप सुलझ जाएगा। किसी भी कार्य को करने में पहले संकल्प की आवश्यकता होती है और संकल्प तब उत्पन्न होता है जब आवश्यकता का बोध होता है। - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - अंग्रेजों की सबसे बडी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने प्रत्येक भारतीय वस्तु के प्रति विमुखता और अनास्था उत्पन्न कर दी। दो सौ वर्षों तक वे सदा यही घोषित और प्रचारित करते रहे कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य निस्सार और अनुपादेय हैं और उनके इस प्रचार को हमने बडी सजगता से ग्रहण किया, हम मान बैठे कि हमारा सब-कुछ हीन है। इसलिए जिस तत्परता से स्वाधीन राष्ट्र अपनी वस्तुओं के प्रति आत्मीयता का अनुभव करता है, उसका हममें लोप हो गया। - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - संकल्प की जो दृढता अपेक्षित है उसका पूर्ण अभाव है। जिस दिन वह आ जाएगी उसी दिन भाषा की समस्या सुलझ जाएगी।"[1]

### ३.१.१ राष्ट्रभाषाभिमान का अभावः

सारी दुनिया आज मात्र पैसों के इर्द-गिर्द फेरे डाल रही है। आज समाज में पैसे के प्रति अधिक श्रद्धा दिखाई दे रही है। उसी मार्ग पर चलते हुए हिंदी का टेबुल हिंदी पखवाड़ा, बैठकें और अन्य कार्यक्रमों के नाम पर पैसे खर्च करने और कमाने का टेबुल बन गया है। कहीं भी हिंदी के कार्यान्वयन के प्रति श्रद्धा और गंभीरता के दर्शन नहीं होते। अपने उत्तरदायित्व के प्रति तीव्र उदासीनता परिलक्षित होती है।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका प्रयोग करना आम जनता के लिए याने राष्ट्र के लिए हितकारक है। राष्ट्रभाषाभिमान के अभाव के कारण हिंदी में काम करना अपना कर्तव्य है, इस बात के प्रति श्रद्धा का अभाव है। इसके विपरीत हिंदी का मजाक उड़ाना, अपनी अक्षमता को छिपाने के

---

१. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा-राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान, पृष्ठ-५०,५१

लिए भाषा का विरोध करना, हिंदी कामकाज टालने के लिए बहानेबाजी करना-जैसी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। हिंदी राजभाषा है, राजभाषा को न जानना लज्जा की बात है। अधिकांश व्यक्तियों के मन में उतरता ही नहीं कि हर शिक्षित देशवासी को राजभाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना ही चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोग अभिमान से कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती। हिंदी प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण लेना, एक साल के लिए एक वेतन-वृद्धि पाने का आकर्षण मात्र है। अर्थात प्रशासन का भी शायद यही उद्देश्य है कि वेतन-वृद्धि और पुरस्कार पाने के आकर्षण से क्यों न हो लेकिन सभी लोग हिंदी सीखे।

कुछ व्यक्तियों को अभिमान है कि उन्हें हिंदी नहीं आती, वहीं कुछ व्यक्ति लज्जा का अनुभव करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी को ज्ञान-विज्ञान की तथा विश्वभाषा कहा जाता है, मात्र इसलिए ही समाज में अंग्रेजी का आकर्षण है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी एक फैशन बन चुकी है। आवश्यक हो या न हो, आती हो या न हो, भाषाओं की पढ़ाई का आकर्षण हो या न हो समाज में अंग्रेजी का आकर्षण दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बच्चों को अंग्रेजी हजम हो या न हो, स्वयं को पढ़ना-पढ़ाना आए या न आए, आर्थिक दृष्टि से संभव हो या न हो, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पाठशालाओं में दाखिल कराना आज साधारण बात हो गई है। इससे सामान्य बुद्धि के बच्चों को न अंग्रेजी ठीक तरह से आती है, न वे अपनी मातृभाषा को ठीक से जान पाते हैं या उसपर प्रभुत्व पा सकते हैं। इसतरह से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाकर अभिभाविक अपनी संतान का क्या हित कर रहे हैं, यह समझना कठिन है।

उच्च-पदस्थों को राजभाषा हिंदी आती नहीं इस बात का अपमान अनुभव हो या न हो, किंतु सामान्य कर्मचारी अंग्रेजी ठीक से नहीं आती इस बात के लिए लज्जा का अनुभव अवश्य करते हुए दिखाई देते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, किंतु देशवासियों को राजभाषा का ज्ञान होना आवश्यक एवं गर्व की बात है। हर शिक्षित देशवासी को राजभाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो कि उसका राष्ट्रीय कर्तव्य है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्माजी के मतानुसार-"राष्ट्रभाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। अपने को एक ही राष्ट्र का निवासी माननेवाले दो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में बातें करें, यह हास्यास्पद असंगति है। - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -इससे राष्ट्रीय सम्मान में बट्टा लगता है। विदेशों में जाने पर कभी-कभी इस बात का बड़ा कड़ुवा अनुभव होता है कि अपने को भारतीय कहनेवाले दो व्यक्ति अपने देश की किसी

भाषा में बात न कर अंग्रेजी-जैसी विदेशी भाषा में बात करते हैं और इसे देखकर वहाँ के निवासी आश्चर्य के साथ पूछ बैठते हैं कि क्या आपकी कोई अपनी भाषा नहीं है ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - भाषा के अभाव में पराधीनता की याद ताजी बनी रहती है।"[1]

कार्यालयीन बैठकों में अक्सर देखा गया है कि कर्मचारियों को अंग्रेजी में बातें करने का अभ्यास न होने के कारण वे अंग्रेजी में अपने विचार ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। अधिकांश कर्मचारी अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में अपने भावों और विचारों का संप्रेषण अधिक सहजता से कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें बैठकों में वार्तालाप करते समय अधिकांश हिंदी का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसके बावजूद मध्यवर्ग तथा सामान्य लोगों में भी अंग्रेजी का आकर्षण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। कभी अधिकारी अपनी बात को नहीं समझ सकें तो इस भय से, कभी किसी अधिकारी के प्रभाव से अथवा अधिकारी के सामने अपनी क्षमता दिखाकर उन्हें प्रभावित करने के मोह से गलत क्यों न हो लेकिन अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया जाता है। किंतु कर्मचारी हिंदी बोलते समय स्वयं को जितना सक्षम और सहज पाते हैं, उतना अंग्रेजी में बोलते समय नहीं।

इन सारी बातों के पीछे राजभाषाभिमान का अभाव तथा राजभाषा के प्रति श्रद्धा न होना यह एक प्रमुख कारण है। राजभाषा का प्रयोग करना यह अपना प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य है इस बात का तीव्र अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो सभी समस्याओं के समाधान ढूँढे जा सकते हैं। मन में चाह न हो तो मनुष्य राह क्यों पकड़ेगा? कुछ लोग मौखिक रूप से रूचि दर्शाते भी हैं, किंतु कार्य के समय पीछे हट जाते हैं, तो कुछ लोगों का जोर तुरंत कम पड़ जाता हैं और वे हतबल हो जाते हैं। किसी कार्य के प्रति कोई भी व्यक्ति तभी गंभीर हो पाता है, जब उसमें कार्य के प्रति श्रद्धा हो। अधिकांश सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन का कार्य श्रद्धा और गंभीरता से नहीं निभाया जाता। एक दायित्व के रूप में नहीं तो महज औपचारिकता निभाने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाना, गृहपत्रिका छापना, प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण देते रहना, प्रगति रिपोर्ट भेजना आदि कार्य किए जाते हैं। किंतु "ख" क्षेत्र के लिए निर्धारित हिंदी पत्राचार का लक्ष्य १० प्रतिशत उपेक्षित रह जाता है।

---

१. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा-राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान, पृष्ठ-१७

उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि अधिकांश देशवासियों के मन में राजभाषाभिमान का अभाव होने के कारण वे हिंदी का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। राजभाषा के प्रति श्रद्धा एवं गंभीरता का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी देशवासियों के मन में राजभाषा के प्रति आत्मीयता जागृत हो जाएगी तो सभी समस्याओं पर मात करके हिंदी-कार्यान्वयन अपने आप हो जाएगा।

### ३.१.२ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना :

हिंदी-कार्यान्वयन को प्रगति की दिशा से हटाकर अधोगति की दिशा की ओर धकेलने का काम करनेवाला सबसे बड़ा कारण है-शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना। महाराष्ट्र की पाठशालाओं में (अंग्रेजी/मराठी दोनों माध्यम की) हिंदी मात्र ५वीं से १०वीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है। उसमें भी कुछ पाठशालाओं में हिंदी के विकल्प में संस्कृत रखी गई है। बहुत से विद्‌यार्थी अधिक अंक पाने का दृष्टिकोण रखते हुए हिंदी के विकल्प में संस्कृत चुनते हैं। ये विद्‌यार्थी हिंदी पढ़ते ही नहीं। फिर आगे चलकर कार्यालयीन कामकाज हिंदी में कैसे कर सकेंगे ? वहीं अंग्रेजी,मराठी पाठशालाओं में भी ५ वीं से १० वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप में पढ़ाई जाती है और उसके विकल्प में कोई दूसरी भाषा नहीं है। साथ-साथ अनेक विषयों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पढ़ाई भी अंग्रेजी में उपलब्ध है। विज्ञान की सभी शाखाएँ(भौतिक, रसायन, जीव), समाजशास्त्र, लायब्ररी सायन्स, अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान आदि अनेक विषयों का स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। वाणिज्य, इतिहास, भूगोल आदि विषय अंग्रेजी और मराठी में (प्रादेशिक भाषाओं में) भी पढ़ाने की सुविधा है, किंतु हिंदी में पढ़ाने की सुविधा नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा-माध्यम की व्यवस्था के कारण राजभाषा होने पर भी देशवासियों को हिंदी का आवश्यक अभ्यास भी नहीं हो पाता तथा अंग्रेजी का अभ्यास अधिक होने के कारण स्वाभाविक रूप से उच्च-शिक्षित व्यक्तियों को हिंदी की तुलना में अंग्रेजी आसान प्रतीत होती है।

जो लोग अंग्रेजी माध्यम की पाठशालाओं में पढ़ते हैं, उनकी तो सारी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती हैं। इसके सबंध में कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र),श्री. एन.एस.गुप्तेजी का कहना है-"कोल्हापुर में कितनी हिंदी पाठशालाएँ हैं ? मेरा तबादला होता रहता है। अगर मेरा आसाम में तबादला हो जाएगा तो वहाँ हिंदी पाठशाला मिलेगी ? मुझे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाना होगा।"[१] यह उत्तर बहुत सूचक है।

१. परिशिष्ट-२

मात्र अधिकांश शिक्षा माध्यम ही अंग्रेजी नहीं है तो कार्यालयों में नौकरी लगने के पश्चात मात्र उच्च पदों का ही नहीं सभी पदों (लिपिक, दूरध्वनि प्रचालक आदि) का प्रशिक्षण अंग्रेजी में ही होता है। पदोन्नति की परीक्षाएँ भी अंग्रेजी में ही होती हैं। कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र) श्री. एन.एस.गुप्तेजी के शब्दों में-"मेरी अधिकांश पढ़ाई अंग्रेजी में हो गई है। हिंदी में बड़ी-बड़ी टिप्पणियाँ लिखते समय तकलीफ महसूस होती है ।"[१]

उपर्युक्त बातों से निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि अधिकतर पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने के कारण अधिकांश व्यक्तियों को अंग्रेज़ी की आदत होती है। अतः उन्हें हिंदी में काम करते समय समस्या का अनुभव होता है । इस कारण उनमें हिंदी विरोधी मानसिकता का होना स्वाभाविक ही है। इससे हिंदी के कार्यान्वयन का काम असंभव हो गया है।

### ३.१.३ अपराध बोध का अभाव :

हिंदी विरोध की नाल राष्ट्रविरोध से जुड़ी है। हिंदी राजभाषा है। उसके विरूद्ध कोई वक्तव्य करना अपराध है। अपराध बोध की यह भावना न होने के कारण ही अधिकांश व्यक्ति हिंदी का खुलकर विरोध करते हैं। यह दृष्टिगोचर होता है कि हिंदी अथवा मातृभाषा में लिखे पत्रों के नीचे भी अंग्रेजी हस्ताक्षर बेझिझक किए जाते हैं, किंतु अंग्रेजी पत्रों के नीचे हिंदी हस्ताक्षर करने में कुछ व्यक्ति झिझकते हैं। हिंदी में हस्ताक्षर करना आरंभ करके हिंदी-कार्यान्वयन की दिशा में पहल की जा सकती है। इस मुद्दे को उठाने के पश्चात कुछ व्यक्ति कोशिश करेंगे आदि कहकर टालते हैं, तो कुछ व्यक्ति सीधे मना कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना आसान लगता है। अगर मात्र हस्ताक्षर हिंदी में करने में इतनी कठिनाई एवं झिझक का अनुभव होता है, तो हिंदी में कामकाज करना, पत्राचार करने में कितनी झिझक एवं कठिनाई का अनुभव होता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

हिंदी विरोधी मानसिकता के पीछे सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण कारण है अपराध बोध का अभाव। राजभाषा का सम्मान करना यह एक राष्ट्रीयता का अंग है। उसका विरोध करना अपराध है । लेकिन यह भावना अधिकांश व्यक्तियों के मन को छूती तक नहीं है। इसी कारण हिंदी में कार्यालयीन

---

१. परिशिष्ट-२

14051

कामकाज करना टालने के लिए अनेक बहाने बनाए जाते हैं और हिंदी में काम करने का अधिक आग्रह करने के पश्चात खुलकर उसका विरोध किया जाता है। अर्थात हिंदी नहीं आती इसका अपराध बोध न होना भी समस्यामूलक है।

३.१.४ इच्छा-शक्ति का अभाव :

मनुष्य परिवर्तन नहीं चाहता । खासकर वह परिवर्तन जो उसके लिए कष्टसाध्य है। हिंदी में काम करना हो तो उसे सीखना पड़ेगा । नया कुछ सीखने के लिए, नया काम करने के लिए अधिक समय देने के साथ-साथ दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। घर-गृहस्थी तथा अन्य कामों में उलझे व्यक्ति इन बातों को सीखने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दे पाते और मात्र प्राज्ञ प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कार्यालयीन शब्दों का ज्ञान हिंदी में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि-एक साथ लिखित काम किया जा सकें इतना दो भाषाओं पर प्रभुत्व पाना आसान नहीं है। किंतु अधिकांश कार्यालयीन काम ढांचे ढला होता है। अधिकांश अनुभागों के लिए निर्धारित शब्दों का ही प्रयोग करना होता है। तारीख और अन्य कुछ जानकारी एवं आंकड़ों को बदलकर करीबन एक ही मसौदे का बार-बार उपयोग किया जाता है। इसलिए कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए हिंदी भाषा पर प्रभुत्व होने की कोई आवश्यकता नहीं। अंग्रेजी पर कितने व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है ? अधिकांश व्यक्ति पिछला काम देखकर उसके अनुसार आगे काम करते जाते हैं। नया मसौदा तैयार करने का काम न के बराबर होता है। फिर भी जब हिंदी में काम करना टालने के लिए बहानेबाजी की जाती है तब कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नया काम सीखने की अनिच्छा से इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

३.१.५ परमुखापेक्षिता :

परिमंडल कार्यालय, अन्य दूरसंचार कार्यालय तथा मंत्रालय आदि से कोल्हापुर दूरसंचार को प्राप्त होनेवाले अधिकांश पत्र अंग्रेजी में ही होते हैं। कोल्हापुर दूरसंचार के महाप्रबंधक श्री. आर. सी कोलीजी के शब्दों में-"मूलतः जितने भी आदेश अथवा सूचनाएँ इत्यादि जो मुख्य कार्यालय से आती हैं, उनका अंग्रेजी में होने की वजह से अधिकतर हिंदी का उपयोग नहीं हो पाता।"[1]

---

१. परिशिष्ट-१

मात्र परिमंडल कार्यालय, मुंबई से ही नहीं "क" क्षेत्र से आनेवाले अधिकांश पत्र भी सिर्फ अंग्रेजी में ही होते हैं। हिंदी अनुभाग में विभिन्न पदों पर की जानेवाली नियुक्तियाँ एवं तबादलों के पत्र भी सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं, द्विभाषा में भी नहीं। इससे यही स्पष्ट होता है कि कहीं भी हिंदी में कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई देता । हिंदी-कार्यान्वयन का नियम है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने चाहिए। अंग्रेजी में उत्तर देने से हिंदी-कार्यान्वयन के नियम का उल्लंघन हो जाता है। बस, इस नियम का उल्लंघन मात्र न हो यह देखा जाता है। कुछ स्थानों पर हिंदी पत्रों के उत्तर भी अंग्रेजी में दिए जाते हैं। कभी-कभी हिंदी अनुभाग से पत्राचार भी अंग्रेजी में किया जाता है। मूल हिंदी में प्राप्त होनेवाले आवक पत्रों की संख्या ही न के बराबर होती हैं तब हिंदी में जावक पत्रों की संख्या में वृद्धि कैसे हो पाएगी? हम स्वयं ही हिंदी में पत्र भेजने की दिशा में पहल कर सकते हैं। दूसरा कोई हिंदी में पत्राचार नहीं करता इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी हिंदी में पत्राचार न करें। इस बात की ओर संकेत करने पर-पहले उधर से आने दीजिए बाद में देखेंगे-इस प्रकार के संकेत मिलते हैं।

निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि हर कोई चाहता है कि दूसरा हिंदी-कार्यान्वयन की दिशा में पहल करें। इस परमुखापेक्षिता की वृत्ति के कारण ही विगत बावन सालों में हिंदी-कार्यान्वयन नहीं हो पाया है।

### ३.१.६ अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की दुरुहता :

हिंदी का विरोध करते समय हिंदी के टंकण एवं लेखन की कठिनाइयों का भी उल्लेख किया जाता है। अंग्रेजी रनिंग लिपि में लिखी जाने से कम समय में अधिक लिखी जा सकती है। टंकण के बारे में कुछ हद तक सच भी है कि हिंदी टंकण अंग्रेजी टंकण की तुलना में कठिन है। टंकण मशीन के कुंजी पटल पर अंग्रेजी अक्षर ही होते हैं। हिंदी अक्षर नहीं लगाए जाते। इस कारण अंग्रेजी टंकण सीखे बिना कर्मचारी एक-एक अक्षर देखकर टंकण कर सकता है। वहीं हिंदी कुंजी पटल याद रखकर ही टंकण करना पड़ता है। उसके साथ ही हर संगणक तथा टाइपरायटर पर अंग्रेजी का एक ही मानक कुंजी पटल होता है। वहीं अनेक कंपनियों ने देवनागरी लिपि के अलग-अलग कुंजीपटल बनाए हैं। इससे हिंदी टंकण और जटिल बन गया है। हरिबाबू कंसल जी भी कहते हैं-"हिंदी के टाइपरायटर वर्षों से बनते रहे हैं, किंतु इनका कुंजी पटल शुरु से अब तक एक जैसा नहीं रहा है। उनमें कई बार परिवर्तन हुए हैं। कुंजी पटल के परिवर्तन से टाइपिस्टों को कठिनाई होती रही है। जिस व्यक्ति ने एक प्रकार के कुंजी पटल पर

प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उसे यदि दूसरे प्रकार के कुंजी पटल वाले टाइपरायटर पर काम करना पड़े तो वह कर नहीं सकता। कुंजी पटल का मानकीकरण भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है।"[1] फिर भी संगणक पर डाले गए हिंदी पैकेजों में अनेक प्रकार के कुंजी पटल होते हैं। भारत सरकार ने मानक कुंजी पटल बनाया है तो उसका ही प्रयोग करना चाहिए, किंतु यह नहीं हुआ है।

हिंदी की वर्णमाला बड़ी होने के कारण कुंजीपटल की कुंजियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हिंदी में मात्राएँ, लघु-गुरु अक्षर आदि होने के कारण भी कुछ लोगों को हिंदी टंकण अधिक जटिल लगता हैं। उनका कहना है कि पहली इ की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा, पहला उ, दूसरा ऊ,पूर्ण का 'र', प्रकाश का 'र',कृष्ण का 'र' आदि अलग-अलग चिह्नों के प्रयोग के कारण हिंदी कुंजी पटल और जटिल बन जाता है। वहीं अंग्रेजी में टंकण करते समय सीमित वर्णमाला के साथ-साथ मात्र एक के बाद एक अक्षरों को रखते जाना होता है। किंतु यह सही नहीं है। अगर महाराष्ट्र शब्द टंकित करना हो तो हिंदी में म की एक ही कुंजी का तथा अंग्रेजी में M और A दो कुंजियों का उपयोग करना पड़ता है और ष्ट्र लिखना हो तो हिंदी में चार तो अंग्रेजी में पाँच कुंजियों का उपयोग करना पड़ता है। कहीं पर कर्मचारी हिंदी टंकण सीखने में रुचि नहीं दिखाते हैं, तो कहीं पर अधिकारी उन्हें प्रशिक्षण के लिए कार्यालयीन समय में भेजने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तव में अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए हिंदी प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण एक वेतन-वृद्धि पाने का आकर्षण मात्र है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्माजी का कहना है- "हिंदी को बार-बार कठिन कहकर उसके प्रति दुर्भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसके ग्रहण के प्रति लोग विमुख बने रहें। ऐसा लगता है जैसे संसार में सबसे कठिन भाषा हिंदी ही है और उसके व्याकरण का सरलीकरण अपरिहार्य है। अंग्रेजी सारे संसार पर छा गई, किंतु उसकी अवैज्ञानिक वर्तनी और क्लिष्ट व्याकरण को सरल करने की आवाज किसी ओर से नहीं सुनाई पड़ी, पर हिंदी जैसी निसर्गतः सरल भाषा का भी सरलीकरण होना चाहिए। इस बहाने भी हिंदी के व्यवहार में कुछ शिथिलता आ जाती है।"[2] वास्तव में अंग्रेजी ही अधिक कठिन है। अंग्रेजी के अधिकांश शब्दों को स्पेलिंग रटे बिना याद रखना असंभव है। कंपॅरेटिव, सुपरलेटिव को भी रटे बिना याद रखना असंभव है।

अटपटे अनुवादों के कारण भी हिंदी दुरुह लगती है। अनुवाद करते समय हिंदी भाषा की

---

१. हरिबाबू कंसल-राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, पृष्ठ-२६२

२. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा-राष्ट्रभाषा हिंदी:समस्याएँ और समाधान, पृष्ठ-५२

प्रकृति के अनुसार अनुवाद नहीं किया जाता, बल्कि अंग्रेजी का शब्द-प्रतिशब्द अनुवाद किया जाता है। इससे हिंदी वाक्यरचना अंग्रेजी वाक्यरचना का स्वरूप धारण कर लेती है और हिंदी की सहजता तथा सरलता नष्ट होकर वह कठिन लगने लगती है। उदाहरण दिया जा सकता है कि-"Undersigned has directed to say" का अनुवाद "अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है " किया जाता है। इसमें अधोहस्ताक्षरी यह मूल हिंदी शब्द न होकर अंग्रेजी शब्द का शब्द-प्रतिशब्द अनुवाद मात्र है, जो कि इस वाक्य में विचित्र एवं कुरुह लगता है। यह हिंदी वाक्य अंग्रेजी का चोला पहना हुआ लगता है। इस वाक्य का आसान और हिंदी की प्रकृति के अनुसार अनुवाद होगा-"मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि"। होना यह चाहिए कि अंग्रेजी पाठों को हिंदी में अनूदित करने के बजाए मूल मसौदा ही हिंदी में लिखना चाहिए।

अंग्रेजी की  आदत होने के कारण अधिकांश अधिकारियों को या तो हिंदी आती ही नहीं अथवा ठीक  से नहीं आती। ऐसे लोगों के लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण के बाद भी स्वतंत्र रूप से मसौदा बनाया जा सके इतना भाषा पर प्रभुत्व पाना सहज संभव नहीं । उच्च-शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कार्यालयीन कामकाज का प्रशिक्षण भी अंग्रेजी में ही मिलने के कारण अधिकारियों को अंग्रेजी का ही अभ्यास हो जाता है। स्वाभाविक है कि उन्हें हिंदी में काम करना कठिन एवं अंग्रेजी में ही आसान लगेगा। इसलिए अधिकारी हिंदी के बारे में उदासीनता दिखाते हैं, इससे कर्मचारियों की हिंदी विरोधी मानसिकता को बल मिलता है।

उपर्युक्त बातों के परिप्रेक्ष्य में यह दृष्टिगोचर होता है कि हिंदी की प्रकृति से भिन्न एवं शब्द-प्रतिशब्द अनुवादों के कारण, शिक्षा-माध्यम अंग्रेजी होने के कारण तथा हिंदी के टंकण, लेखन जटिल है, ऐसी मानसिकता बनने के कारण संबंधित व्यक्तियों को अंग्रेजी की तुलना में हिंदी कुरुह लगती है। इससे हिंदी के कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के कार्य में बहुत हानि पहुँचती है और लोगों को हिंदी की ओर मुड़ने की इच्छा नहीं होती ।

३.१.७ काम की गति में बाधा :

कुछ लोगों में यह मानसिकता दिखाई देती है कि हिंदी में काम करेंगे तो काम की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। यह सच है कि कर्मचारियों को अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास हो गया है। इस आदत को बदलकर हिंदी में काम करना होगा। कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए उन्हें पर्याप्त

समय देना चाहिए। किंतु कहीं पर कामकाज की मात्रा अधिक और कर्मचारी कम, तो कहीं पर संगणकी-करण के कारण हाथ से लिखकर काम करने में अधिक समय लगता है, तो कहींपर अधिकारियों का दबाव, तो कहीं पर निर्धारित समय में काम पूरा करना है और हिंदी में काम करने से काम की गति कम हो जाएगी और समय पर लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, इनमें से कोई न कोई कारण बताकर हिंदी में काम करना टाला जाता है। कर्मचारी अंग्रेजी में जिस गति से काम करते हैं, उतनी गति से हिंदी में नहीं कर पाते। इस कारण अधिकारी दिक्कत अनुभव करते हैं कि काम लंबित रह जाता है।

उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि अंग्रेजी की अत्यधिक आदत एवं धारावाही हिंदी में काम करने की अक्षमता के कारण कार्यालयीन कामकाज की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। किंतु यह कोई ठोस कारण नहीं है । हिंदी में काम करना टालने के अनेक बहानों में से यह एक बहाना मात्र है। क्योंकि कुछ ही दिनों के हिंदी के निरंतर प्रयोग से हिंदी में धारावाही काम करना सहज एवं सरल कार्य है।

### ३.१.८ राजभाषा नियमों का अज्ञान :

अधिकांश व्यक्तियों को आज भी सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी सही रूप में नहीं है। नामपट्टी पर नाम हिंदी में ऊपर और अंग्रेजी में उसके नीचे लिखना चाहिए, हिंदी अक्षर अंग्रेजी अक्षरों से बड़े होने चाहिए आदि नियम लोगों को या तो मालूम नहीं होते अथवा हिंदी के प्रयोग से बचने के लिए अज्ञान दिखाया जाता है। हिंदी राजभाषा है । जनहित की दृष्टि से इसे अधिक महत्त्व है। उसका प्रयोग करना चाहिए-ये विचार या तो किसी के मन में आते नहीं अथवा मन में आए विचारों की ओर लापरवाही बरती जाती है।

हिंदी में मसौदा तैयार करते समय अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी पर्याय न मिलने पर वही अंग्रेजी शब्द देवनागरी लिपि में लिखकर भी काम चल सकता है। बार-बार समझाने पर भी या तो इस बात पर अंमल करने के लिए आलस्य किया जाता है अथवा यह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती। हिंदी में लिखते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अधिकांश लोगों को अखरता है। हिंदी में लिखना इसका मतलब शुद्‌ध, संस्कृत-प्रचुर हिंदी लिखना ऐसा ही समझा जाता है। वास्तव में भाषा एक महासागर होती है। अनेक भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ उसमें आकर समा जाती हैं और वे नदियाँ महासागर बन जाती हैं। जब तक किसी अंग्रेजी शब्द का सही पर्याय नहीं बनता अथवा ऐसे बने शब्द हमें याद नहीं

रहते, तब तक बेझिझक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी कारणों को दिखाकर राजभाषा का प्रयोग ही टाल देना यह इन बातों का योग्य पर्याय नहीं। किंतु अधिकांश व्यक्तियों की यहीं सोच है कि अंग्रेजी शब्दों का अगर प्रयोग करना है तो अंग्रेजी भाषा ही क्यों नहीं ? किंतु कुछ शब्दों का कुछ अवधि तक स्वीकार करना और हमेशा पराई भाषा की गुलामी में रहकर राजभाषा के सम्मान को ठेस पहुँचाना इसमें फर्क है।

कई बार अधिकारियों को कर्मचारियों की अंग्रेजी पर टिप्पणी करते हुए देखा गया है। अंग्रेजी में कार्यालयीन कामकाज करते समय शायद कर्मचारी सोचते होंगे कि वे अंग्रेजी में काम करेंगे तो उसे अधिकारी देख, समझ और सुधार सकते हैं और बाद में गलतियों के लिए वे अधिक जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अधिकारी हिंदी ठीक से समझते नहीं, इसलिए उन्हें कर्मचारियों का अंग्रेजी में काम करना ही उपयुक्त और अच्छा लगता है। जो भी हो अधिकारी और कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वियन के नीति-नियमों की या तो जानकारी नहीं होती अथवा जानकारी होने पर भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

उपर्युक्त बातों की जाँच पड़ताल करने के बाद स्पष्ट होता है कि हिंदी के कार्यान्वियन में आनेवाली समस्याओं में राजभाषा नीतियों के बारे में लापरवाही और अज्ञान यह भी एक समस्या है।

### ३.१.९ अंग्रेजी में ही काम करने का आग्रह :

कुछ अधिकारी ऐसे भी सवाल उठाते हैं कि-अंग्रेजी में काम करने से क्या बिगड़ता है ? अंग्रेजी में काम क्यों न करें ? हिंदी में ही काम क्यों करें ?

हर राष्ट्र को राजभाषा की आवश्यकता होती है और किसी भी राष्ट्र की राजभाषा उसी राष्ट्र की बहुप्रचलित भाषा हो सकती है। राजभाषा की परिभाषा यह है कि उस राष्ट्र के सभी प्रशासन, शिक्षा तथा विधि से संबंधित कामकाज उसी भाषा में होने चाहिए। कुछ लोग इस तथ्य का स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उनको इस तथ्य को व्यवहार में लाने में कठिनाई प्रतीत होती है । हिंदी राजभाषा के रूप में ठीक है। उसे अपने स्थान पर रहने दीजिए। हम उसका सम्मान करते हैं। किंतु कार्यालयीन कामकाज अंग्रेजी में करने से क्या फर्क पड़ता है ? इस प्रश्न से सूचित होता है कि कुछ व्यक्ति राजभाषा शब्द की परिभाषा बिलकुल ही नहीं जानते। कार्यालयीन कामकाज का आम जनता के साथ इतना

संपर्क कहाँ आता है ? जनता के संपर्क में आनेवाले कार्यालयीन काम-जैसे कि बिल में छूट के लिए होनेवाला पत्राचार, जनता के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, खुला प्रश्नमंच आदि व्यवहार स्थानीय भाषा मराठी में होता है। कोल्हापुर दूरसंचार ने महाराष्ट्र में पहली बार वर्ष २०००-२००१ की निर्देशिका मराठी में प्रकाशित की। जनता के संपर्क में आनेवाला थोड़ा-बहुत काम प्रादेशिक भाषा मराठी में होता ही है, तो फिर अन्य कार्यालयीन काम अंग्रेजी में करने से क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ उठती रहती हैं। हिंदी क्षेत्र के लोगों में भी हिंदी विरोधी मानसिकता के दर्शन होते हैं, तो अन्यों से हिंदी प्रेम की कहाँ तक उम्मीद रखी जाय ?

वैश्विकरण की हवा बहने के कारण विश्व में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है। उसके साथ ही ज्ञान-विज्ञान की सारी बातें उसी भाषा में प्राप्त होती हैं। अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान युरोपीय देशों में होते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के द्वारा हमें हासिल होते हैं। इसी कारण उच्च-शिक्षा अंग्रेजी में प्राप्त होती है। फिर उच्च-शिक्षित लोग जिनके हाथों में सभी अधिकार के पद होते हैं, वे हिंदी का अभ्यास न होने के कारण हिंदी का विरोध स्वाभाविक रूप से करेंगे ही। फिर हिंदी के नियमों की खानापूर्ति करने के लिए जबरदस्ती थोड़ा-बहुत काम किया जाता है, किंतु अपनी इच्छा, श्रद्धा और उत्साह के साथ नहीं।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्माजी का कहना है- "अंग्रेजीदाँ लोग अंग्रेजी शासन-यंत्र के अनिवार्य अंग रहे, अंग्रेजी पढ़ी इसलिए कि वह शासन की भाषा रही। इन्हें दफ्तरों की भाषा की बनी-बनाई लीक का अभ्यास हो गया है, इसलिए उसमें काम कर लेने में इन्हें कोई असुविधा नहीं होती। उस अभ्यस्त लीक से जरा भी इधर-उधर चलने में इन्हें असुविधा होने लगती है। हिंदी-शब्दों के प्रयोग में जो थोड़ा-बहुत आयास अपेक्षित है वह इन्हें कष्टकर प्रतीत होता है और इसलिए ये हिंदी का विरोध करते हैं। अंग्रेजी को अभी कायम रखने के लिए यही वर्ग सबसे अधिक मुखर है।"[1]

निष्कर्षतः उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि उच्च-शिक्षित लोग जिनके हाथों में अधिकार के पद होते हैं, अंग्रेजी का अभ्यास होने के कारण अंग्रेजी की ओर अधिक झुके होते हैं। जिससे राजभाषा की अहमियत, उससे वैश्विक स्तर पर राष्ट्र को मिलनेवाली पहचान आदि को समझना, स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो जाता है और वे अंग्रेजी में ही काम करने के अत्यधिक आग्रही बन जाते हैं।

---

१. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा-राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान, पृष्ठ-३७,३८

### ३.१.१० अंग्रेजी शब्दों का अतिपरिचय :

क्या अधिकारी और क्या कर्मचारी, आम जनता के मन और जिव्हा पर भी अंग्रेजी शब्द इतने चढ़े हुए हैं कि हिंदी ही नहीं तो मातृभाषा के पर्यायी शब्द भी कठिन लगने लगे हैं। उदाहरणार्थ-Adjust यह शब्द करीबन सभी भारतीय भाषाओं में इतना घुलमिल गया है कि ग्रामीण जनता भी बेझिझक इसका प्रयोग करती है। Adjust के लिए पर्यायी हिंदी शब्द समायोजन है। जाहिर है जब तक इस शब्द का प्रयोग करने की सबको आदत नहीं होगी तब तक यह शब्द किसी को हजम नहीं होगा। अँडजस्ट अगर हिंदी में इतना अँडजस्ट हो गया है तो क्यों न उसे वैसा ही रखे ? किंतु ऐसे हजारों अंग्रेजी शब्द जिनके पर्यायी हिंदी शब्द सहजता से उपलब्ध हैं, वे हिंदी से इतनी बुरी तरह से चिपक गए हैं कि उन सभी का प्रयोग करते रहेंगे तो हिंदी रहेगी कहाँ ? अगर किसी अंग्रेजी शब्द के लिए आसान और सहज हिंदी पर्याय उपलब्ध हो तो राजभाषा के प्रति श्रद्धा रखते हुए जागरुकता से उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए ।

अधिकांश तकनीकी ज्ञान हमें पाश्चात्य देशों से ही प्राप्त होता है। कुछेक पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय गढ़ने के बजाए उन्हें जैसे हैं वैसे ही हिंदी में स्वीकृत किया गया है। जैसेकि- बँक, ड्राफ्ट, डीडी, चेक. टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बिल, फ्रिज, स्टँड, स्टेशन, केबल, रिमोट, हेलिकाप्टर, आदि। किंतु जब हिंदी में काम करने की बात चलती है तब सभी को लगता है कि अंग्रेजी के हर शब्द का बहिष्कार करके सभी शब्दों को हिंदी में ही लिखना, याने शुद्ध हिंदी लिखना । भाषा तो प्रवाहमयी सरिता होती है। अनेक भाषाओं के शब्दरूपी छोटे-छोटे स्रोत उसमें समाकर भाषा की प्रौढ़ता, उपयोगिता, गहराई एवं गरिमा बढ़ाते हैं। किंतु अधिकांश व्यक्ति समझते हैं कि हिंदी में लिखना याने उसमें किसी दूसरी भाषाओं के शब्दों को मिलाए बिना लिखना, जोकि बिलकुल गलत है। फिर शुद्ध हिंदी लिखने की धुन में कुछ लोग अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय नहीं मिलता इसलिए हिंदी में कामकाज करने के लिए सहमत नहीं होते। तब जो लोग हिंदी विरोधी हैं, वे हिंदी में स्वीकृत अंग्रेजी शब्दों के बारे में भी इस शब्द का प्रतिशब्द क्या है ? उस शब्द का हिंदी पर्याय क्या है ? इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं । जो व्यक्ति अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए क्यों न हो हिंदी में काम करने का प्रयास करते हैं, उनका भी हिंदी विरोधी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वे लोग बौखलाकर हिंदी में काम करना बंद कर देते हैं।

आर्य और द्रविड़ जब आपसी संपर्क में आए तब अणु, कला, गण, नाना, पुष्प, बीज, रात्री, सायं, तंडुल, मर्कट, शव, नीर, श्रेष्ठिन(सेठ), झगड़ा, सीप, खूँटा, झड़ी(वर्षा की) आदि द्रविड भाषा के हजारों शब्द संस्कृत में प्रविष्ट हो गए, जो आज संस्कृत के ही मूल शब्द लगते हैं। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि द्रविड़ी भाषाओं में आज ये जो शब्द मिलते हैं(उदा. कन्नड में नीर, पुष्प, रात्रि आदि) वे संस्कृत से ही दक्षिणी भाषाओं में प्रविष्ट हो गए हैं। उसी तरह द्रविड भाषाओं पर संस्कृत का जो प्रभाव है वह आज भी दर्पण में उभरे प्रतिबिंब की तरह साफ-साफ दृष्टिगोचर होता है। जब दो भाषा-भाषी एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तब एक ही भूभाग में पनपते समय दोनों भाषाओं का परस्पर प्रभाव में आ जाना स्वाभाविक है। जब अरबी-फारसी भाषिक भारत के लोगों के संपर्क में आए तब यहाँ की खड़ी बोली और इन भाषाओं के मिश्रण से उर्दू भाषा का निर्माण हुआ। मात्र हिंदी में ही नहीं तो सभी भारतीय भाषाओं में अनेक अरबी-फारसी तत्सम और तद्भव शब्द घुल-मिल गए हैं। उदा. अरबी का शैतान शब्द मराठी, कन्नड में सैतान, हिंदी में शैतान तथा मलयालम में चैतान बनकर प्रविष्ट हो गया है। उसी तरह ब्रिटिशों के संपर्क में आने के पश्चात भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। सभी भाषाओं के शब्द सहजता से अपने भीतर समा लेने की अद्भुत शक्ति हिंदी में है ही। किंतु हिंदी में कामकाज का अर्थ अंग्रेजी के एक भी शब्द का प्रयोग न करना ऐसा माना जाता है, जो कि नितांत गलत है।

उपर्युक्त सभी कारणों को देखने के पश्चात भी जब लोगों का निरीक्षण किया जाता है, तब पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा लोगों की जिव्हा पर इतना नर्तन करती है कि हिंदी के ही नहीं मातृ-भाषा के आसान शब्द भी याद नहीं आते। प्लीज और सॉरी तो पानी की तरह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक शब्द बन गए हैं। जो शब्द हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो भी हजारों अंग्रेजी शब्द-जैसे, consider-विचार, confidence-विश्वास, will-मृत्युपत्र, law-कानून, clue-सुराग, speed-गति, engage-व्यस्त, impress-प्रभावित, pay-वेतन, office-कार्यालय, service-नौकरी, prestige-प्रतिष्ठा, play/game-खेल, beautiful-सुंदर, blank-रिक्त/खाली, science-विज्ञान, road-रास्ता, professor-अध्यापक, proprietor- मालिक आदि आसान और बहुप्रचलित हिंदी पर्याय उपलब्ध होते हुए भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है अथवा करना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। इस बात का issue मत बनाओ, मेरे point of view से, आजकल law तोड़ना easy है, क्या scenery है? आदि वाक्यों को सुनने के पश्चात पता चलता है कि मात्र प्रतिष्ठित और उच्च-शिक्षितों में ही नहीं, तो आम-जनता और मध्य-वर्ग के लोगों के दिल और दिमाग पर भी अंग्रेजी कितनी सवार है। अपने

आसपास चौबीसों घंटें अंग्रेजी शब्द कानों से इतने टकराते रहते हैं कि अनचाहे हिंदी के अध्येता के मुँह से भी अंग्रेजी शब्द छूटते हैं। अंग्रेजी की इस आदत की मजबूरी से आनेवाले अत्यधिक दबाव के कारण भी हिंदी में काम करना कठिन एवं अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता है। आसान हिंदी शब्द भी कभी-कभी झट से याद नहीं आते और याद करके बोलते समय हकलाना पड़ता है ।

उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित? क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी? सभी के दिल-दिमाग और जिव्हा पर अंग्रेजी का अधिराज्य होने के कारण हिंदी के कार्या-न्वयन पर गहरा असर होता है। अंग्रेज तो चले गए किंतु अंग्रेजी भाषा की गुलामी की शृंखलाएँ तोड़ना कठिन लग रहा है। अंग्रेजी संभाषण प्रतिष्ठा की बात मानी जाने के कारण हिंदी के कार्यान्वयन में कठिनाई खड़ी होती है। इससे हिंदी के कामकाज की प्रगति पर असर हो रहा है। अंग्रेजी-शब्दों को हिंदी की आवश्यकता के अनुसार स्वीकार करके अपनी चाल में चलना कठिन क्या असंभव प्रतीत हो रहा है।

## ३.२ वैधानिक प्रावधान में स्थित विसंगतियाँ:

२६ नवंबर, १९४९ को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। २६ जनवरी, १९५० से यह संविधान देश में लागू हुआ और इतिहास में पहली बार हिंदी को तथा शतकों के पश्चात इस देश की भाषा, हिंदी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई । डा. विनोद गोदरे कहते हैं-"संविधान के अनुच्छेद ३४३(१) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखित हिंदी है। इसी अनुच्छेद की धारा(२) के अनुसार संविधान के प्रारंभ के पंद्रह वर्ष की कालावधि अर्थात २६ जनवरी, १९६५ तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग होता रहेगा। ताकि हिंदी इस अवधि के दौरान शासन, विधान, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए। इसमें हिंदी को कम महत्त्व देने या इतर किसी भाषा से कम आँकने या उसे अपमानित करने की कोई मंशा नहीं दिखती है, परंतु अंग्रेजी भाषा में कामकाज करने-कराने के आदी प्रशासकों-कर्मचारियों आदि के लिए भाषा-माध्यम हिंदी को अपनाने के लिए समय देना उचित समझा गया होगा।"[1]

---

१. डा. विनोद गोदरे-प्रयाजनमूलक हिंदी, पृष्ठ-७५

किंतु हिंदी का राजनैतिक, व्यावहारिक, व्यापारिक, साहित्यिक प्रयोग पुराने जमाने से किया जा रहा है। अनेक हिंदू राजाओं का आपसी पत्राचार हिंदी में था। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग पुरातन काल से किया जाता रहा है। हिंदी साहित्य भी दृत गति से निर्माण होता आ रहा है। अंग्रेजी राज में भी जनता के लिए अनेक कानून हिंदी में प्रसारित किए जाते थे। फिर संविधान में १५ साल के लिए अंग्रेजी के अनिर्बंध प्रयोग का प्रावधान करके हिंदी को क्यों पीछे धकेला गया? भाषा का विकास तभी हो पाता है, जब उसका वास्तविक और निरंतर प्रयोग किया जाता है। हिंदी का तुरंत प्रयोग करने का प्रावधान करके राजभाषा के लिए विकास का मार्ग खुला करना ही ठीक था। ताकि निरंतर प्रयोग से उसकी सक्षमता बढ़े। अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी राजभाषा बनाई तब प्रशासन, न्यायालय आदि से संबंधित अधिकांश भारतीयों को पहले की राजभाषा फारसी की आदत थी। क्या तब अंग्रेजों ने अंग्रेजी सीखने तथा उसकी आदत होने के लिए १५ वर्ष दिए थे ? वह शासकों की भाषा थी। इसीलिए शासन-यंत्र से जुड़ने की इच्छा रखनवाले उसकी अवैज्ञानिक वर्तनी तथा दुरुह व्याकरण के बावजूद उसे सीखते चले गए। उसपर प्रभुत्व पाने के बाद गर्व का अनुभव करते रहे। इसीलिए हिंदी को राजभाषा घोषित करके अनुच्छेद ३४३ धारा(२) द्वारा १५ वर्ष के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान करना उचित नहीं लगता।

इसी अनुच्छेद ३४३ की धारा(३) द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि पंद्रह वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने के लिए विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी। इस प्रकार हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के पश्चात भी अवरोधात्मक उपबंधों की संविधान में व्यवस्था कर अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी के राजभाषा के रूप में संघीय प्रयोग एवं व्यवहार के सम्मुख अनिश्चय की स्थिति निर्माण कर दी। संविधान के रचनाकारों ने हिंदी-प्रेमियों को हिंदी को राजभाषा के सिंहासन पर बिठाकर प्रसन्न कर दिया और अंग्रेजी के पक्षधरों के लिए अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग का लंबा रास्ता खोल दिया। इस तरह हिंदी की झोली में जहाँ अनिश्चित भविष्य डाला गया, वही अंग्रेजी के बटुवे में वर्तमान रुतबे के साथ भविष्य की सुनिश्चितता भी हो गई। संविधान-शिल्पियों ने अनुच्छेद ३४३ की धारा (१) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा पद का गौरव दिया उसे उसी अनुच्छेद की तीसरी धारा के द्वारा निष्प्रभ कर दिया।

अनुच्छेद ३४८ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक विधेयकों, अधिनियमों,

अध्यादेशों एवं आदेशों तथा नियमों-विनिमयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। इस प्रकार इस अनुच्छेद द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को अधिक बल प्रदान किया गया और अंग्रेजी के पाठ को ही प्राधिकृत माना जाने का आदेश दिया गया। इससे हिंदी की क्षमता के प्रति अविश्वास का भाव प्रकट हो गया है।

अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, उनपर भारत सरकार की एक आंतर-विभागीय बैठक में चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अपने कुछ काम हिंदी में करने चाहिए। इस संबंध में ता. ८ दिसंबर, १९५५ को गृह मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया । इसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को कुछ सुझाव दिए गए-जैसेकि सरकारी संकल्पों, विधायी अधिनियमों आदि को,"यथासंभव" अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया जाए। किंतु इन पर यह बात स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए कि "अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक" माना जाएगा। इन सुझावों में हिंदी के संबंध में मात्र औपचारिकता का निर्वाह होता आया है। "यथासंभव, यदि संभव हो तो" आदि शब्दों के द्वारा राष्ट्रपति के हिंदी प्रयोग संबंधी आदेशों का पालन करने से साफ-साफ बचा जा सकता था। भाषा परिवर्तन रातोंरात संभव नहीं । उसका प्रयोग धीरे-धीरे ही होना चाहिए। संक्रमणकाल में अंग्रेजी और हिंदी का कुछ समय तक साथ-साथ चलना ठीक था। किंतु संविधान में स्थित एवं समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों एवं कार्यालय ज्ञापनों में स्थित हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी विसंगतियों के कारण ही आजतक हिंदी का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। हिंदी में काम अनिवार्यता किया जाना ही चाहिए, ऐसा एक भी ठोस आदेश नहीं है। अथवा इस प्रकार का आदेश हो तो भी(राजभाषा अधिनियम धारा ३(३) में अनिवार्यतः द्विभाषा में काम करने का आदेश है।) उस पर ठीक प्रकार से अंमल नहीं किया जाता। क्या संक्रमण काल कभी खत्म भी होगा ?

उपर्युक्त बातों से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया किंतु अंग्रेजी के अनिर्बंध प्रयोग की व्यवस्था करके हिंदी से उसके राजभाषा होने के सभी अधिकार छीन लिए। यथासंभव, यदि संभव हो तो आदि शब्दों का राष्ट्रपति के आदेशों में एवं गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापनों में प्रयोग करके हिंदी प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन न करने के लिए चोर-रास्तें खोल दिए, जो कि अंग्रेजी के लिए वरदान साबित हो गया । संविधान को लागू होकर ५२ साल बीतने के पश्चात भी हिंदी महज नाम के लिए राजभाषा है और सभी अधिकार एवं मान-सम्मान अंग्रेजी के पक्ष में ही हैं। इन्हीं कारणों से हिंदी-कार्यान्वयन कठिन ही नहीं असंभव हो गया है।

## ३.३ तकनीकी समस्याएँ :

दूरसंचार तकनीकी विभाग होने के कारण हिंदी के कार्यान्वयन की राह पर कुछ तकनीकी समस्याएँ भी गतिरोधक बनकर खड़ी हैं। पारिभाषिक शब्दावली का अभाव तथा संगणकीकरण के कारण हिंदी-कार्यान्वयन की प्रगति पर गहरा असर हो रहा है।

### ३.३.१ मानक तकनीकी शब्दावली का अभाव :

तकनीकी विभाग होने के कारण दूरसंचार विभाग की भाषा तकनीकी भाषा है। इस विभाग में काम करते समय बहुत बड़ी मात्रा में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अधिकांश अनुसंधान युरोपीय देशों में होकर अंग्रेजी भाषा माध्यम द्वारा पूरे विश्व में प्रसारित हो जाते हैं । दूरध्वनि का अनुसंधान भी पाश्चात्य देश में अलेक्झांडर ग्राहमबेल द्वारा हुआ। दूरध्वनि का सारा तंत्रज्ञान हमें अंग्रेजी में ही प्राप्त हुआ है। इस कारण दूरसंचार के तकनीकी शब्दों को या तो वे जैसे अंग्रेजी में हैं वैसेही उनका स्वीकार करना चाहिए अथवा उनके आधार पर हिंदी में नए तकनीकी शब्दों को गढ़ना आवश्यक हैं। इसीलिए हर वैज्ञानिक विषय की तकनीकी शब्दावली होना अत्यंत आवश्यक है।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्माजी का कहना हैं-"हिंदी की वास्तविक और एकमात्र समस्या पारिभाषिक शब्दावली की है। हिंदी को कार्यान्वित करने की बात आती है तो सहज-भाव से कह दिया जाता है-हिंदी में शब्द हैं कहाँ कि उसे काम में लाया जाए? इसलिए कार्य में बाधा पड़ती है और प्रगति नहीं हो पाती।"[१] और एक स्थान पर वे कहते हैं-"इसमें हिंदी का दोष नहीं, दोष है प्रायः आठ सौ वर्षों की राजनीतिक स्थिति का। मुस्लिम शासन के युग में फारसी का बोलबाला रहाऔर अंग्रेजी शासन युग में अंग्रेजी का। शासन,न्याय, शिक्षा आदि के लिए हिंदी का कभी व्यवहार हुआ ही नहीं, और भाषा व्यवहार से पनपती, फलती-फूलती है। इसलिए आज जो पारिभाषिक शब्दों को लेकर इतना बड़ा बवेला खडा हुआ है वह निरर्थक है। इस अभाव को पूरा करने का कभी जमकर प्रयास नहीं हुआ। सरकार की ढुलमुल नीति और अधिकारियों की उपेक्षा ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण-कार्य को उचित रीति और गति से अग्रसर नहीं होने दिया।"[२]

---

१. आचार्य देवेंद्रनाथशर्मा-राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान, पृष्ठ-७१

२. -वही-, पृष्ठ-२०

कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में काम करते समय शोधार्थी को अनेक तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय बनाने पड़े। उदा."Interactive voice response system" शब्द के हिंदी पर्याय की माँग की गई। दूरसंचार की मानक तकनीकी शब्दावली उपलब्ध नहीं हुई। एक-दो उपलब्ध शब्दकोशों में यह शब्द नहीं मिला। इस कारण उस शब्द के अर्थ की ओर ध्यान देते हुए शोधार्थी ने उसका हिंदी पर्याय "अंतःसक्रिय प्रतिध्वनि प्रणाली" बनाया। अब यह बनाया शब्द मानक शब्द है या नहीं ? यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया ।

हिंदी अनुवादक का काम ही अनुवाद करना है। फलतः वह सोचने-समझने के लिए पर्याप्त समय लेकर शब्दानुवाद कर सकता है। शब्द के हर खंड की ओर ध्यान देते हुए उसका हिंदी पर्याय बना सकता है। उपर्युक्त शब्द में "voice (ध्वनि)" और "response (प्रतिध्वनि)" दो खंड हैं। voice response के लिए ध्वनि-प्रतिध्वनि कहना, दो बार ध्वनि शब्द का प्रयोग करना हिंदी की प्रकृति के अनुसार ठीक नहीं लगा । इसीलिए voice response शब्द के लिए मात्र प्रतिध्वनि(ध्वनि के लिए प्रतिसाद) शब्द का प्रयोग किया । उसके साथ ही Interactive शब्द का अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश में अर्थ अन्योय क्रिया संबंधी मिला, जो इस शब्द के लिए ठीक नहीं लगा। इसलिए Interactive शब्द के Inter (आंतर) active(सक्रिय) दो खंड करके उन दो खंड़ों को मिलाने के पश्चात जो शब्द अंतःसक्रिय बना वह उचित लगा।

किंतु इतना सब द्राविडी प्राणायाम करके नया हिंदी पर्याय बनाकर उसका वाक्य और मसौदे में प्रयोग करने के लिए हर कर्मचारी के पास न समय होता है और न ही साधन। ऐसे बनाया गया शब्द मानक शब्द है या नहीं कैसे जाने? अन्य कोई व्यक्ति उपर्युक्त शब्द का पर्यायी हिंदी शब्द बनाते समय शब्द -प्रतिशब्द अनुवाद करते हुए अन्योय क्रिया ध्वनि-प्रतिध्वनि प्रणाली शब्द भी बना सकता है, तो कहीं और कुछ, जो मानक शब्द नहीं होंगे । इसके साथ ही यह "Interactive voice response system" है क्या? .जब इसका पता चलेगा, उसका तकनीकी ज्ञान होगा तब उसका और सही-सही पर्याय बनाया जा सकता है। मात्र सामान्य ज्ञान (common sense) पर आधारित बनाया शब्द मानक होगा ही यह जरुरी नहीं। voice response शब्द का अर्थ मात्र प्रतिध्वनि है या ध्वनि-प्रतिध्वनि ही अर्थ लेना चाहिए? तकनीकी दृष्टि से यह मात्र प्रतिध्वनि प्रणाली है या ध्वनि-प्रतिध्वनि प्रणाली है? इस प्रकार के प्रश्न अनुवादक के मन में उठते रहते हैं। इस कारण मात्र दूरसंचार ही नहीं तो अन्य तकनीकी विभागों के लिए मानक तकनीकी शब्दकोशों का निर्माण करना आवश्यक है। जिससे हर तकनीकी

शब्द का मानक हिंदी पर्याय तुरंत मिल जाय। ऐसी तकनीकी शब्दावली उपलब्ध होनी चाहिए कि जिसका उपयोग करके तुरंत अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय जानकर कम समय में हिंदी में काम किया जा सकें। नए शब्दों को गढ़ने में समय न गंवाना पड़े और ऐसे बनाया शब्द ठीक बना है या नहीं? मानक है या नहीं-इस संदेह को कोई स्थान न रहे। इसके संबंध में कोल्हापुर दूरसंचार के महाप्रबंधक श्री. आर. सी. कोली कहते हैं-"तकनीकी भाषा के कारण भी हिंदी के कार्यान्वियन में समस्याएँ निर्माण होती हैं। तकनीकी शब्दों के लिए हिंदी प्रतिशब्द न मिलने की वजह से!"[१]

अतः उपर्युक्त बातों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है कि तकनीकी विभागों के लिए मानक तकनीकी शब्दावली का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके न होने के कारण हर स्थान पर अपनी-अपनी समझ-बूझ एवं अनुभव के आधार पर शब्द का अलग-अलग अर्थ लगाया जा सकता है और एक ही शब्द के अनेक पर्याय बन सकते हैं, जिसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं। इससे हिंदी के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो गई है।

### ३.३.२ संगणकीकरण :

आज पूरे विश्व का संगणकीकरण हो गया है। संगणकीकरण के कारण काम की गति करीबन दुगुनी हो गई है। भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं है। भारत में करीबन सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, निगमों तथा निजी कार्यालयों और उद्योगों का संगणकीकरण हो गया है। अतः दूरसंचार जैसे तकनीकी विभाग का संगणकीकरण होना स्वाभाविक ही है। हिंदी में काम करते समय आनेवाली समस्याओं में संगणकीकरण की समस्या का उल्लेख करते हुए महाप्रबंधक, कोल्हापुर दूरसंचार कहते हैं -"संगणक का माध्यम अंग्रेजी होने से और हमारे कार्यालय के अधिकतर अनुभागों का संगणकीकरण होने से हिंदी में काम करना कठिन हो जाता है।"[२]

अतः तकनीकी समस्याओं के कारण आनेवाली समस्याओं में संगणकीकरण यह भी हिंदी-कार्यान्वयन पर गहरा असर डालनेवाली समस्या है। कोल्हापुर दूरसंचार में मुख्य वितरण ढाँचा(M.D.F.-Main Distribution Frame), पूछताछ केंद्र(Enquiry), बिलिंग, राजस्व, योजना,

---

१. परिशिष्ट -१

२. -वही -

वाणिज्य, प्रशासन, ग्राहक सेवा केंद्र आदि सभी अनुभागों का संगणकीकरण हो गया है। सभी अनुभागों के अधिकतर कार्य संगणक द्वारा ही किए जाते हैं। इसी समस्या के बारे में उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र), कोल्हापुर दूरसंचार का कहना है-"संगणकीकरण के कारण हिंदी में काम करना कठिन है। संगणक की भाषा अंग्रेजी है। वर्ड प्रोसेसिंग में मात्र हिंदी पत्राचार हो सकता है। एक्सेल में हिंदी में काम होना चाहिए।"[1] संगणक की संचलन प्रणाली (operating system) अंग्रेजी में होने के कारण कोल्हापुर दूरसंचार में दूरध्वनि बिल का प्रारूप हिंदी में छापने के पश्चात भी हर दूरभाष क्रमांक का बिल-ब्यौरा संगणक द्वारा अंग्रेजी में ही छापा जाता है।

अतः स्पष्ट है कि संगणकीकरण के कारण अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में करने पड़ते हैं। इससे हिंदी के कामकाज के प्रतिशत पर गहरा आघात पहुँचता है। संगणक पर होनेवाले स्वयंचलित काम जैसे बिलिंग-एक बार संगणक पर समायोजित करके रखने के पश्चात हर दूरध्वनि क्रमांक का बिल ब्यौरा छपे प्रोफॉर्मे पर अपने आप छपता जाता है। अगर ऐसे काम संगणक पर हिंदी में करने की व्यवस्था हो जाएगी तो काफी काम हिंदी में हो सकता है। दूरसंचार का बिल का प्रोफॉर्मा हिंदी में है ही । उसपर हिंदी में बिल ब्यौरा छापने की व्यवस्था हो जाएगी, अर्थात संगणक की हिंदी संचलन प्रणाली विकसित करने से कोल्हापुर दूरसंचार के दो लाख दूरध्वनि क्रमांकों के बिल हिंदी में बन जाएंगे।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संगणकीकरण की समस्या हिंदी-कार्यान्वयन में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है।

## ३.४ सरकारी नीतियों में स्थित खोखलापन :

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों,निगमों, संगठनों के लिए हिंदी-कार्यान्वयन का दिशा-निर्धारण करनेवाले नियमों का समय-समय पर प्रसारण होता हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने से हिंदी-कार्यान्वयन के नियम का उल्लंघन हो जाता है। कोल्हापुर दूरसंचार कार्यालय में मूलतः बाहर से (याने परिमंडल कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय, अन्य सरकारी कार्यालय) आनेवाले हिंदी पत्रों की संख्या न के बराबर हैं। हिंदी में आए एकाध पत्र का उत्तर हिंदी में दिया कि हो गई हिंदी-कार्यान्वयन के नियम की पूर्ति ।

---

१. परिशिष्ट-२

राजभाषा अधिनियम धारा३(३) के अंतर्गत हिंदी समाचार पत्र में अंग्रेजी निविदा प्रकाशित करवाना हिंदी-कार्यान्वयन के नियम का उल्लंघन है। कोल्हापुर दूरसंचार के दि. १७/०६/ २००१ को आयोजित तिमाही हिंदी बैठक के वृत्तांत में लिखा है-"हिंदी समाचार पत्र में अंग्रेजी निविदा छापने से राजभाषा कार्यान्वयन धारा३(३) का उल्लंघन हो जाता है, इस नियम को बताने के पश्चात सहायक-महाप्रबंधक(योजना) से जानकारी मिली कि हिंदी समाचार पत्र में अंग्रेजी निविदा नहीं प्रकाशित की जाती। नियम का उल्लंघन नहीं किया जाता ।"[1]

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में प्रश्न है- "हिंदी में प्राप्त पत्रों की* कुल संख्या और * चिह्न का पाद टिप्पणी में दिए विवेचन में लिखा है-इसमें हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों को भी शामिल किया जाए।"[2] हिंदी को राजभाषा घोषित करके ५२ वर्ष बीतने के पश्चात भी अंग्रेजी पत्रों के नीचे हिंदी में मात्र हस्ताक्षर करने पर भी वह पत्र हिंदी माना जाएगा? किसी अंग्रेजी पत्र के नीचे हिंदी में हस्ताक्षर करने से क्या वह काम सचमुच हिंदी में हो जाता है? एक तरह से यह धोखा ही है। संसदीय राजभाषा समिति की यह प्रश्नावली आज भी द्विभाषा में है। यह प्रश्नावली मात्र हिंदी अनुभागों को भेजी जाती है। हिंदी अनुभाग के कर्मचारी ही इस प्रश्नावली को भरते हैं । क्या वे भी हिंदी ठीक से नहीं जानते? या अंग्रेजी पाठ को ही प्राधिकृत मानना है, इसीलिए द्विभाषा में छापा गया है? ऐसी बातें राजभाषा के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाती है तथा हिंदी मात्र दिखावे के लिए राजभाषा है, इस बात को अधोरेखित करती हैं।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि राजभाषा-कार्यान्वयन संबंधी समय-समय पर जारी होनेवाले नियम भी कितने खोखले हैं। उनमें कैसे चोर-रास्तें हैं और उनके द्वारा कितनी आसानी से हिंदी में कार्यालयीन कामकाज करने से कोई भी बच सकता है। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देकर हिंदी पत्राचार से बचा जा सकता है और "नियम का उल्लंघन नहीं हुआ" कहा जा सकता है। कुछ अंग्रेजी पत्रों के नीचे हिंदी में हस्ताक्षर करके हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह भी करने के लिए अधिकांश लोग तैयार नहीं हैं। हिंदी समाचार पत्र में अंग्रेजी निविदा प्रकाशित करने से धारा३(३) का उल्लंघन हो जाता है। मात्र अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी निविदा देकर नियम के

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग, क्र. केटीडी//जी-१८/हिंदी बैठकें/७३ कोल्हापुर दि. १७/०६/२००१

२. संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली, पृष्ठ-७

उल्लंघन से साफ-साफ बच सकते हैं। दिखावे के लिए हिंदी समाचार पत्र में एकाध-दूसरी निविदा हिंदी में दे दी तो भी ठीक, नहीं तो भी पूछनेवाला है कौन?

अतः इन सारी बातों से सरकारी नीतियाँ कितनी कमजोर हैं, उनमें कितना खोखलापन, दिखावा और विसंगतियों की भरमार है, यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। ये मात्र कुछ उदाहरण हैं। किंतु इससे राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

## ३.५ हिंदी अनुभाग में नियुक्तियों के कारण आनेवाली समस्याएँ :

अधिकांश सरकारी कार्यालयों, निगमों, संगठनों में दृष्टिगोचर होता है कि हिंदी अनुभाग में नियुक्तियाँ मंजूर पदों से कम संख्या में होती हैं अथवा एक भी नियुक्त कर्मचारी नहीं होता है और हिंदी अनुभाग के कामकाज का वहन किसी दूसरे संवर्ग का कर्मचारी करता हुआ दिखाई देता है। कहीं-कहीं हिंदी अधिकारी एवं कर्मचारियों में हिंदी से अधिक अंग्रेजी का अभिमान दिखाई देता है, जिससे हिंदी-कार्यान्वयन के प्रति लगन का अभाव दिखाई देता है। इस प्रकार हिंदी अनुभाग की नियुक्तियाँ एवं नियुक्त कर्मचारियों के कारण हिंदी के कार्यान्वयन के मार्ग पर अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं।

### ३.५.१ नियुक्त कर्मचारियों में प्रशिक्षण का अभाव :

दूरसंचार कार्यालयों में दूरध्वनि प्रचालक, लिपिक, कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी आदि सभी पदों पर पहले प्रशिक्षण देकर ही नियुक्तियाँ की जाती हैं। किंतु सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, संगठनों में हिंदी पदों पर पहले कोई प्रशिक्षण दिए बिना ही नियुक्तियाँ की जाती हैं। कोल्हापुर दूरसंचार में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर दि. ३० जुलाई, २००१ से जो नियुक्ति की गई है, वह स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा द्वारा की गई पहली भर्ती का कर्मचारी है। नियुक्ति से पहले इस कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। अंग्रेजी में एम.ए.होने के कारण अंग्रेजी भाषा का अध्येता यह कर्मचारी अंग्रेजी अनुरागी है, इस बात का पता उसके साथ काम करते समय लगा। यह स्वाभाविक भी है। उसे अंग्रेजी अच्छी लगती थी तथा वह अंग्रेजी पर प्रभुत्व पाना चाहता था, इसीलिए उसने अंग्रेजी में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। इन पदों पर नियुक्ति की योग्यता हिंदी अथवा अंग्रेजी में एम.ए. की होने के कारण अंग्रेजी में एम.ए. हुए कर्मचारी को पहले से ही हिंदी के अधिनियमों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी हो यह संभव नहीं। इसी कारण इन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

विद्‌यार्थी दशा से अंग्रेजी पढ़ने के कारण अधिकारी हिंदी विरोधी मानसिकता रखते हैं और हिंदी में कामकाज करने के प्रति रुझान का परिचय नहीं देते। जहाँ अधिकारी ही उदासीन हैं वहाँ कर्मचारियों को कुछ बताना निश्चय ही कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षित हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। नियुक्त कर्मचारियों में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के संबंधी कर्तव्य भावना का होना तथा उसे हिंदी-कार्यान्वियन के सभी नियमों, अधिनियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा द्‌वारा सीधे पदों पर की जाती है और अधिकांश दूरसंचार जिलों में (कोल्हापुर में भी) हिंदी अनुवादकों को ही हिंदी अधिकारी पद के कार्यों को निपटाते हुए हिंदी अनुभाग की पूरी जिम्मेदारी अकेले को ही उठानी पड़ती है।

मात्र अंग्रेजी मसौदे का हिंदी में अनुवाद करना इतना ही अपना काम है यह मानकर परीक्षा देनेवाले ये कर्मचारी इतने सारे कामों का अकेले को ही निर्वहन करना है यह देखकर बौखला जाते हैं। किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण उन्हें न काम के स्वरूप का पता होता है और न ही काम करने की पद्‌धति का ज्ञान होता है। जब किसी जिले में पहली बार हिंदी अनुभाग पहली नियुक्ति के हिंदी अनुवादक की नियुक्ति से खोला जाता है, तब उस कर्मचारी पर उस जिले के हिंदी अनुभाग का प्रारंभ करने की जिम्मेदारी आ जाती है और नव नियुक्त, अप्रशिक्षित कर्मचारी को कामकाज की कोई जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार के उदाहरण सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी जिलों में हाल ही में वर्ष २००१ में हो गए हैं। कोल्हापुर दूरसंचार में भी हिंदी अनुभाग की शुरुआत दि. १६ जुलाई, १९९० में प्रथम भर्ती के हिंदी अनुवादक श्रेणी III की नियुक्ति से हो गई थी।

श्री. बी.एस.नकवाल, सहायक निदेशक(राजभाषा), नासिक तथा पूर्व हिंदी अनुवादक, कोल्हापुर दूरसंचार ने एक प्रश्न-क्या आप बता सकते हैं कि कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी अनुभाग का प्रारंभ कबसे हुआ? के उत्तर में कहा-"कोल्हापुर में या अन्यत्र हिंदी अनुभाग का विधिवत आरंभ नहीं किया जाता। बल्कि हिंदी का पदधारी जब भी तैनात किया जाता है, उसी समय हिंदी अनुभाग कार्यरत हो जाता है, अर्थात दि. १६/०७/१९९० से।"[1]

हिंदी अधिकारी और अनुवादक के आस-पास सभी उच्चाधिकारी होते हैं। अधिकारियों से -

---

१. परिशिष्ट-४

कही गई कोई बात अगर हिंदी के नियमों के विरुद्ध हो तो भी नवनियुक्त कर्मचारी स्वयं ही हिंदी के कार्यान्वयन के नियमों, अधिनियमों से अनभिज्ञ होने के कारण तथा दबाव के कारण कुछ कह नहीं सकेगा। उसे अधिकारियों से अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदी के कार्यान्वयन के बारे में कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र) श्री. एन.एस.गुप्तेजी का कहना है -"मात्र हस्ताक्षर हिंदी में करने से अथवा हिंदी मोहर लगाने से हिंदी के कामकाज को बढ़ावा मिल सकता है? जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नियम बनाकर बाध्य नहीं करना चाहिए।"[1]

शोधार्थी को कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में काम करते समय अधिकारी एवं कर्मचारियों से अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ा। जैसे-हिंदी में काम करके क्या फायदा? अंग्रेजी में काम करने से क्या होता है? दबाव मत डालिए। कर्मचारियों को यह कहते पाया गया कि अधिकारियों को ही हिंदी नहीं आती तो हमें क्यों बताया जाता है? अधिकारी मजबूर करेंगे, आदेश देंगे तो हम चुपचाप हिंदी में कामकाज करेंगे। तब अधिकारियों का कहना हैं कि कर्मचारियों को अंग्रेजी ही ठीक से नहीं आती तो क्या वे हिंदी में अच्छा काम कर सकेंगे? हिंदी में कामकाज करने के लिए कुछ अधिक जोर देने पर सभी संबंधित कभी मजाक उड़ाते है, तो कभी-कभी चिढ़ते हैं। निश्चय ही ऐसे परिवेश में काम करना कर्मचारियों के लिए कठिन हो जाता है। इन सारी बातों से पहले ही कर्मचारियों को अवगत कराके, उन्हें हिंदी के नियमों, अधिनियमों से प्रशिक्षित कराके हिंदी अनुभाग में नियुक्त करने से हिंदी के कार्यान्वयन के काम में गति आ सकती है। कुछ कर्मचारी तो कहते हैं कि हिंदी-पद पर नियुक्ति उनके लिए मात्र एंप्लॉयमेंट है, इससे कुछ अधिक नहीं। अतः स्पष्ट होता है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार से इनका कोई सरोकार नहीं। ऐसे कर्मचारियों के लिए ऐसा परिवेश वरदान ही है। ऐसे कर्मचारियों के विचारों में प्रशिक्षण से परिवर्तन लाया जा सकता है तथा वे भी एक जीवित-कार्य(मिशन) समझकर हिंदी-कार्यान्वयन में जुट जाय।

हरिबाबू कंसलजी कहते हैं-"हिंदी के पदों पर नियुक्त अधिकांश अधिकारी तथा कर्मचारियों के प्रति कुछ कार्यालयों में आदर और स्नेह की भावना रहती हैं, कहीं-कहीं उनके प्रति उपेक्षा का भाव भी रहता है। सभी जगह उन्हें एक जैसा सहयोग मिले इसकी आशा व्यर्थ है। विभिन्न अवसरों पर हिंदी अधिकारी आदि अपनी विवशता तथा असहाय स्थिति की चर्चा करते रहते हैं। इस संबंध में स्थिति को

---

१. परिशिष्ट-२

ठीक रूप से समझने की आवश्यकता है जिससे अकारण खिन्नता न हो।"[1]

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि हिंदी अनुभाग में नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उन्हें कामकाज का स्वरूप बताने के लिए हिंदी अनुभाग में कोई कर्मचारी नहीं होगा तो काम का स्वरूप समझने के लिए ही उस कर्मचारी को साल-दो साल लगेंगे। इसका हिंदी-कार्यान्वयन पर असर पड़ना स्वाभाविक ही है।

### ३.५.२ नियुक्त हिंदी अधिकारी एवं अनुवादक में लगन का अभाव :

कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में काम करते समय अन्य कार्यालयों के हिंदी अनुभाग के कर्मचारियों से संपर्क आनेपर शोधार्थी ने अनुभव किया कि कहीं-कहीं हिंदी अनुभाग के कर्मचारियों को हिंदी से अपनी अंग्रेजी अच्छी है, इस बात का गर्व है। ऐसे कर्मचारियों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की लगन तथा श्रद्धा का न होना स्वाभाविक ही है।

नियुक्त हिंदी अधिकारी और अनुवादकों में लगन का निर्माण तब होगा जब उनमें श्रद्धा होगी। हिंदी हमारी राजभाषा है, उसका कार्यान्वयन करना यह अपना राष्ट्रीय कर्तव्य है- यह भाव जब जागृत होंगे तब कर्मचारियों में श्रद्धा निर्माण होगी। नियुक्त कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति कर्तव्य भावना को जगाना बहुत आवश्यक है। जिसे हिंदी भाषा पर गर्व होगा उसीको भाषा में श्रद्धा निर्माण होगी और वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करेगा। किंतु इन पदों पर नियुक्ति की योग्यता हिंदी अथवा अंग्रेजी में एम.ए होने के कारण, जो कर्मचारी अंग्रेजी में एम.ए. होते हैं, वे अंग्रेजी पसंदीदा भाषा होने के कारण ही अंग्रेजी में एम.ए. उपाधि ग्रहण करते हैं। ऐसे कर्मचारियों से हिंदी अनुरागी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र), कोल्हापुर दूरसंचार का कहना है- "हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने-वालों के मन में लगाव होना चाहिए। मात्र क्वालिफिकेशन हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायक नहीं हो सकता। कुछ स्थानों पर मैंने देखा है कि जो उप-मंडल अधिकारी और कहीं काम नहीं कर सकता उसे हिंदी टेबुल का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर कैसे काम हो सकेगा? पचास सालों में

---

१. हरिबाबू कंसल-राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-१८०

क्या हुआ है? काबिल व्यक्तियों की(जिनके पास सभी से संपर्क करके कामकाज बढ़ाने की टॅक्ट हो) हिंदी के पदों पर नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। अनुवाद के बारे में उन्होंने कहा कि अनुवाद एक कला है। अनुवादक का हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर प्रभुत्व होना चाहिए। लेकिन उससे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है लगन।"[1]

अधिकांश जिलों में हिंदी अधिकारी पदों पर नियुक्तियाँ न होने के कारण हिंदी अनुवादकों को ही इस पद की भी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। कोल्हापुर दूरसंचार में दि.३०जुलाई,२००१ से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद का कार्यभार संभालनेवाले कर्मचारी के अनुभव हैं-"कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मुझे यह मालूम हुआ कि अनुवाद कार्य के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। इन जिम्मेदारियों में हिंदी के कार्यान्वयन के नियमों का पालन सम्मिलित है। जिसमें प्रगति रिपोर्ट भेजना, प्राज्ञ-टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था देखना, हिंदी पखवाड़ा मनाना, तिमाही बैठकों का आयोजन करना, नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकों में शामिल होना, हिंदी गृहपत्रिका का संपादन करना आदि अनेक कार्यों को मुझे पूरा करना होगा।"[2]

इससे स्पष्ट होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुवादक को अनुवाद कार्य के साथ-साथ अन्य अनेक कामों को निपटाना पड़ता है। उसके साथ ही दो-चार कर्मचारियों के स्थान पर एक कर्मचारी को ही इन सभी कामों का निर्वहन करना होगा। ऐसे में कर्मचारी कहाँ तक अपनी लगन का परिचय दे सकेगा? हिंदी प्रचार-प्रसार का कार्य पूरी लगन, मेहनत तथा हर परिस्थिति में निरुत्साही हुए बिना करना होगा। तभी यह काम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगा और सही मायने में हिंदी को राजभाषा पद का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। क्या नव-नियुक्त कर्मचारी यह सब कर पाएगा ?

हालाँकि कोल्हापुर दूरसंचार के नव-नियुक्त अप्रशिक्षित कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने-आप अपने कार्यालय में हिंदी का कार्यान्वयन करने के लिए क्या-क्या करना चाहते हैं? इस दिशा में कुछ सोचा है?-प्रश्न के उत्तर में कहा-"अपने कार्यालय में हिंदी विषयक नीतिगत फैसलों को लागू करने में मैं गंभीरता से कार्य करुँगा। मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ कि एक हिंदी अनुवादक जिसका मुख्य कार्य अनुवाद संबंधी है, उसे हिंदी में कार्यालयीन कामकाज हो ऐसा सुनिश्चित करके उस दिशा में निरंतर

---

१. परिशिष्ट-२

प्रयत्न करते रहना होगा। इस विषय पर मैंने काफी सोचा है। अन्य बातों के अतिरिक्त मेरा सर्वप्रथम कार्य कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों से निजी संबंध बनाना होगा। मैं समझता हूँ कि किसी को भी हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते समय सिर्फ विनम्र प्रार्थना या हौसला अफजाई की जा सकती है। जोर-जबरदस्ती या नियमों का हवाला देकर ऐसा करना असंभव है। चूँकि मैं कार्यालय में नया हूँ, मेरा कार्यालय संबंधी ज्ञान अभी सीमित है । जैसे-जैसे कार्यालय और कर्मचारियों के विषय में मेरी जानकारी बढ़ेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा अतःकरण मुझे अपने कार्य एवं जिम्मदारियों के उत्तम निर्वहन के लिए सुझाव देगा।"[1]

कोल्हापुर दूरसंचार के नव-नियुक्त कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के उपर्युक्त विचार बड़े ही आशादायी एवं हौसला बढ़ानेवाले हैं। इसके लिए उन्हें हार्दिक शुभ-कामनाएँ देने पर भी अनेक प्रश्न उठते हैं। कोल्हापुर दूरसंचार में जुलाई, १९९० से हिंदी अनुभाग का प्रारंभ हुआ। फिर भी आज हिंदी पत्राचार की अवसत मात्र १० से २० प्रतिशत ही है। पिछले १०-१२ सालों में जो नहीं हो सका क्या वह अब हो सकेगा? अंग्रेजी की आदत से मजबूर अधिकारी और कर्मचारी क्या इस कार्य में साथ देंगे? क्या ८७ प्रतिशत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य ५० प्रतिशत तक तो पूरा हो सकेगा? या मात्र आज तक चलता आया है वैसे ही गृहपत्रिका बनाना, हिंदी पखवाड़ा धूमधाम से मनाना, प्रगति रिपोर्ट भेजते रहना आदि बातों की खानापूर्ति ही होती रहेगी? विविध समस्याओं एवं विरोधों को सहते हुए और २-४ कर्मचारियों के स्थान पर अकेले होते हुए भी इस कर्मचारी की लगन टिक पाएगी?

उपर्युक्त बातों के परिप्रेक्ष्य में तथा शोधार्थी को कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में आए दि. २५ नवबंर,१९९८ से दि. ११ अक्तूबर, २००१ तक तीन साल के अनुभव के आधार पर एवं वर्ष १९९० से कोल्हापुर दूरसंचार में हुए हिंदी-कार्यान्वयन के कार्य का अवलोकन करने के पश्चात दृष्टि-गोचर होता है कि हिंदी-कार्यान्वयन यह एक सामुहिक उत्तरदायित्व है। इसमें सभी को पूरे मनोयोग से कार्य करना चाहिए। इस समूह-कार्य को एक-अकेला कर्मचारी कैसे निभा पाएगा? हिंदी अनुवादक के उत्साह की सराहना करते हुए भी शोधार्थी की विनम्र धारणा है कि अकेले व्यक्ति के लिए यह बहुत ही कठिन कार्य है।

---

१. परिशिष्ट-५

कहना गलत नहीं कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार कार्य में नियुक्त कर्मचारी में लगन का न होना या लगन का टिके न रहना या मौखिक रूप से लगन दिखाना, किंतु वास्तव में लगन तथा श्रद्धा का न होना यह भी एक समस्या है। अधिकतर सभी संबंधितों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर लगन को ठेस पहुँचती है । हिंदी के प्रति लगन तथा रूझान होगा तो ही हिंदी के प्रचार-प्रसार कार्य में रूचि निर्माण होगी।

### ३.५.३ हिंदी अधिकारी एवं अनुवादक का अभावः

अधिकांश सरकारी कार्यालयों की तरह कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में या तो मंजूर पदों से कम संख्या में नियुक्तियाँ की गई हैं अथवा एक भी नियुक्त कर्मचारी नहीं ऐसी भी स्थिति रही है। कोल्हापुर दूरसंचार जिले के हिंदी अनुभाग के लिए "एक हिंदी अधिकारी और तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक"[1] मिलाकर कुल चार पद मंजूर थे। हिंदी अधिकारी का पद मंजूरी की तारीख "१४ दिसंबर, १९९३"[2] से आजतक रिक्त ही है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर नियुक्त कर्मचारी का "दि. १९ जनवरी, १९९८ से पदोन्नति के साथ नासिक दूरसंचार में तबादला किया गया।"[3] तब से हिंदी अनुवादक का जो एक पद भरा हुआ था, वह पद भी दि.३0जुलाई, २00१ तक रिक्त था। "दि. १८ जुलाई, २00१ से उस पद पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति की गई"[4], जिसने ३0 जुलाई, २00१ को कार्यभार ग्रहण किया।

दि. १९ जनवरी, १९९८ से दि. २५ नवंबर, १९९८ तक कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। तब प्रशासन अनुभाग में काम करनेवाले दूसरे टेबुल के कर्मचारी से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना, हिंदी पखवाड़ा मनाना आदि काम करवाए जाते थे। इसी बीच जब अधिक आवश्यकता प्रतीत हुई तब कोल्हापुर दूरसंचार की ओर से जिला स्तर पर हिंदी टेबुल का कार्यभार संभलने के लिए दि.३/0८/१९९८ के परिपत्रक द्वारा आवेदन मँगवाए गए। प्राप्त आवेदनों में से "दूरध्वनि प्रचालक संवर्ग के एक कर्मचारी की परिमंडल कार्यालय, मुंबई से इन पदों पर नियुक्ति होने

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग,क्र. केटीडी/स्टाफ-२९२/२0 दि. १२ जुलाई, २00१

२. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, केटीडी/स्टाफ-२९३/२९

३. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, केटीडी/स्टाफ-२१४/५३ कोल्हापुर दि. १२/0१/१९९८

४. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, ए/एसटीए/एई-६२१/जुनि.एच.टी./पोस्टिंग/२८ दि. १८/0७/२00१

तक दि. २५ नवंबर, १९९८ से नियुक्ति की गई।,"[१] दि. २५ नवंबर, १९९८ से दि. ३० जुलाई, २००१ तक वही अकेला अनियुक्त कर्मचारी हिंदी अनुभाग का कार्यभार संभालता रहा।

उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि दि.११जनवरी, १९९८ से दि. ३० जुलाई, २००१ तक कोल्हापुर दूरसंचार जिले के हिंदी अनुभाग के सभी पद रिक्त थे। हालाँकि इस कालावधि में दूरध्वनि प्रचालक संवर्ग का कर्मचारी काम करता रहा, किंतु हिंदी अनुभाग में पदधारी कर्मचारियों का अभाव ही रहा। इसका परिणाम हिंदी के कार्यान्वयन पर हो सकता था, किंतु कोल्हापुर दूरसंचार जिले के हिंदी अनुभाग में काम करनेवाले अनियुक्त कर्मचारी ने उत्कृष्ट कामकाज करके अच्छे कर्मचारी का सन १९९९-२००० का राज्यस्तरीय पुरस्कार "संचार श्री" प्राप्त किया। किंतु अगर अनियुक्त कर्मचारी के पास हिंदी की कोई योग्यता तथा लगन नहीं होती तो निश्चय ही हिंदी के कार्यान्वयन की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता। निष्कर्षतः कोल्हापुर दूरसंचार ही नहीं तो अन्य सरकारी कार्यालयों, निगमों में भी हिंदी अनुभाग में नियुक्त कर्मचारियों का अभाव होना अथवा मंजूर पदों से कम संख्या में नियुक्तियाँ होना यह हिंदी के कार्यान्वयन में आनेवाली एक प्रमुख समस्या है।

## ३.६ अन्य भाषाओं के शब्द स्वीकारने की झिझक :

हिंदी ऐसी दरिद्र भाषा नहीं है कि उसमें विभिन्न शब्दों के पर्याय उपलब्ध न हो। परंतु यदि प्रत्येक शब्द के लिए शब्दकोश का सहारा लिया जाएगा तो हिंदी में काम करना कठिन हो जाएगा। हिंदी में लिखते समय अंग्रेजी के साथ-साथ उर्दू और स्थानीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी निस्संकोच किया जाना चाहिए।

संविधान का अनुच्छेद ३५१ भी इसी ओर इशारा करता है। "अनुच्छेद ३५१: हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश-हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकें तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी तथा अष्टम सूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं[२] के रूप, शैली

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, क्र. आय-१४/९८-९९ कोल्हापुर दि. २५/११/१९९८

२. भारतीय संविधान की अष्टम सूची में उल्लिखित भाषाएँ-असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड, कश्मिरी, गुजराती,तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, बंगला, मराठी, संस्कृत तथा हिंदी।

और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक हो या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

संविधान का उपर्युक्त अनुच्छेद भी इसी ओर दिशा-निर्देश करता है कि भाषा का विकास तभी संभव हो सकता है जब उसमें आवश्यकता के अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकृत किया जाता है। सरकार की भी नीति यही है कि स्थानीय भाषाओं के जो शब्द आम बोलचाल में प्रचलित हैं उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी पत्राचार आदि में लिखा जा सकता है। सरकारी कामकाज के लिए किसी विशेष प्रकार की हिंदी का प्रयोग अपेक्षित नहीं है। सीधी-सादी ऐसी हिंदी का प्रयोग अपेक्षित है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है।

वास्तव में इस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। किंतु हिंदी में लिखना, याने कठिन संस्कृत प्रचुर हिंदी में, याने शुद्ध हिंदी में लिखना इस गलतफहमी के कारण अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। तो कुछ हिंदी प्रेमियों को हिंदी में उर्दू-अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों को स्वीकारना अच्छा नहीं लगता। किंतु इस प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्ति रखना ठीक नहीं है। हिंदी शब्दों के अभाव में हिंदी में काम करना ही छोड़ देने से अच्छा है कि अन्य भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हुए क्यों न हो हिंदी के कार्यान्वयन के काम को अपने अंजाम तक पहुँचाने के सम्मिलित प्रयास करें।

### ३.७ हिंदी-पदों पर नियुक्ति के पत्र भी अंग्रेजी में-घोर विसंगतिः

अधिकतर दृष्टिगोचर होता है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी के पदों पर नियुक्तियाँ एवं तबादलें जिन पत्रों द्वारा किए जाते हैं, वे पत्र भी अंग्रेजी में ही होते हैं। क्या हम इतनी भी योग्यता नहीं रखते कि कम-से-कम हिंदी के पदों पर नियुक्ति के पत्र तो हिंदी में लिखे? किंतु उन्हें भी अंग्रेजी में लिखकर राजभाषा नीति का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है और उसपर किसी प्रकार की पाबंदी भी परिलक्षित नहीं होती। संभवतः यह बात किसी के ध्यान में ही नहीं आती है अथवा ध्यान में आनेपर भी जान-बूझकर ऐसा किया जाता है अथवा आलस्य किया जाता है। किंतु राजभाषा के दृष्टिकोण से यह

कितनी हास्यापद स्थिति है। इससे राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन का काम अपनी गंभीरता ही खो बैठता है। कर्मचारियों की मानसिकता पर भी इसका विपरीत परिणाम होता है।

कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी पदों से संबंधित पत्राचार के निरीक्षण के बाद यह परिलक्षित हुआ कि हिंदी पदों पर नियुक्ति, तबादला, भर्ती के परिपत्रक आदि सभी पत्र मात्र अंग्रेजी में ही होते हैं, द्विभाषा में भी नहीं। "कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में नियुक्त हिंदी अनुवादक का पदोन्नति के साथ नासिक दूरसंचार में बदली का दि. १२ जनवरी, १९९८ का पत्र मात्र अंग्रेजी में है।"[१] जिला स्तर पर हिंदी अनुभाग में नियुक्ति के लिए निकाला परिपत्रक,"[२] "परिपत्रक के अनुसार हिंदी अनुभाग में दूर-ध्वनि प्रचालक संवर्ग के कर्मचारी का नियुक्ति पत्र"[३] आदि अंग्रेजी में ही हैं। "परिमंडल कार्यालय से हिंदी अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए परिपत्रक,"[४] "विविध जिलों के हिंदी अधिकारी पदों पर नियुक्ति का पत्र,"[५] "कोल्हापुर दूरसंचार जिले में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर नियुक्ति का पत्र"[६] आदि परिमंडल कार्यालय से प्राप्त पत्र भी मात्र अंग्रेजी में हैं, द्विभाषा में भी नहीं।

निष्कर्षतः उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि परिमंडल कार्यालय एवं कोल्हापुर दूरसंचार की ओर से जारी किए जानेवाले हिंदी के पदों पर भर्ती के परि-पत्रक, नियुक्ति एवं तबादले के पत्र आदि मात्र अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। जिससे हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन का काम कितना खोखला एवं झूठा है यह प्रकट होता है। निश्चय ही अधिकांश सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने के पश्चात भी यही सत्य सामने आ जाएगा। सालों-साल यही चलता आया है और इस विसंगति के कारण हिंदी के कार्यान्वयन की शून्य गति का अनुभव बड़ी तीव्रता से मन को छूता है।

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, क्र. केटीडी/स्टाफ-२१४/५३ कोल्हापुर दि. १२/०१/१९९८

२. – वही – क्र. केटीडी/स्टाफ-२१४/५१ कोल्हापुर दि. ३/०८/१९९८

३. – वही – क्र. केटीडी/स्टाफ-२१४/५३ कोल्हापुर दि. २/०१/१९९८

४. – वही – क्र. ए./एस.टी.ए./एई-२४/एच.ओ./फोल्डर/२८ मुंबई दि. २७/०१/२०००

५. – वही – क्र. ए./एस.टी.ए/एई-२४/एचओ/एफ/८० मुंबई दि. ९/०७/२००१

६. – वही – क्र. ए./एस.टी.ए/एई-६२१/ज्यु.एच.टी./पोस्टिंग/२८ मुंबई दि. १८/०७/२००१

### ३.८ हिंदी-कामकाज में निरंतरता का अभाव :

"किसी भी भाषा का विकास उसके वास्तविक एवं निरंतर प्रयोग पर निर्भर होता है। अगर विभिन्न प्रकार के काम विभिन्न स्तर पर किसी भी भाषा में किए जाएंगे तो उस भाषा में समय-समय पर नए शब्द आते रहेंगे, निरंतर प्रयोग में कुछ नए शब्द भाषा में रच-पच जाएंगे, तो निकम्मे शब्द अलग पड़ जाएंगे, अभिव्यक्ति की नई शैलियाँ विकसित होंगी। इस प्रकार भाषा का रूप निरंतर संवरता जाएगा और वह भाषा दिन दुगुनी रात चौगुनी समृद्ध बनती जाएगी।"[1]

कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में काम करते समय शोधार्थी को ज्ञात हुआ कि कुछेक कर्मचारी थोड़ा-बहुत काम हिंदी में करते थे। उसके लिए उन्होंने साल में २०,००० से अधिक शब्द लिखने के पश्चात मिलनेवाले हिंदी के पुरस्कारों को पाया हैं। किंतु आजकल इन सभी कर्मचारियों ने हिंदी में काम करना बंद किया है। क्यो? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। बार-बार बताने के बाद अथवा स्व-प्रेरणा से कुछ कर्मचारी हिंदी में काम करना आरंभ तो करते हैं, किंतु कुछ समय बाद हिंदी में काम करना छोड़ देते हैं। उनका उत्साह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। फिर हिंदी पत्राचार या कामकाज का प्रतिशत बढ़ेगा कैसे? हिंदी में किए जानेवाले कामकाज की प्रतिशतता में वृद्धि होने के स्थान पर कटौती ही होती है।

हिंदी साहित्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। दूरदर्शन द्वारा भारत वर्ष के घर-घर में हिंदी पहुँच रही है। ग्रामवासी और अनपढ़ लोग भी धीरे-धीरे हिंदी समझ रहे हैं, किंतु कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी का रूप निखरता नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे स्थित अनेक कारणों में से एक कारण कार्यालयीन कामकाज में होनेवाले हिंदी के प्रयोग में निरंतरता का अभाव यह भी है। जिसका हिंदी के कार्यान्वयन के प्रतिशत पर सीधा परिणाम होता है। हिंदी में किए जानेवाले कामों को बंद करने से हिंदी कामकाज के प्रतिशत में कमी आ जाती है।

### ३.९ हिंदी के लिए करोड़ों रूपयों का व्यय और उसके परिणाम पर प्रश्नचिह्न :

हिंदी पखवाड़ा, हिंदी गृहपत्रिका, प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण में उत्तीर्ण

---

१. हरिबाबू कंसल-राजभाषा हिंदी:संघर्षों के बीच, पृष्ठ-२२०

कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि और पुरस्कार, हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीदारी, साल में २०,००० से अधिक हिंदी शब्द लिखनेवाले कर्मचारियों को पुरस्कार, हिंदी मोहरें बनाने के लिए हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी उन मोहरों का गंभीरता से उपयोग न करना आदि कामों में हिंदी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। ये रुपये इसलिए खर्च किए जाते हैं कि इसका परिणाम सकारात्मक हो। किंतु ऐसा न होने पर हिंदी के नाम पर रुपयों का अपव्यय होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। विगत ५२ सालों में हिंदी-कार्यान्वयन के काम में ५-१० प्रतिशत भी प्रगति नहीं हुई है। सालों-साल वही परिस्थिति। हिंदी-कार्यान्वयन का आज तक चलता आया काम कितना खोखला और थोथा नाटक है इस बात का अनुभव हो जाता है। आज भी अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में काम करने के प्रति सौ प्रतिशत उदासीन ही दिखाई देते हैं। हिंदी-कार्यान्वयन का काम आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। इस काम को अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए हजारों हिंदी प्रेमियों की श्रद्धा और समर्पण से काम करनेवालों की फौज बनानी पड़ेगी।

हिंदी के प्रति फैली यह उदासीनता और विरोध तथा हिंदी के नाम पर होनेवाला पैसों का अपव्यय देखकर इक्के-दुक्के श्रद्धा और समर्पण से काम करने-वाले कर्मचारी का भी मन विचलित हो जाता है। आस-पास के व्यक्तियों का प्रखर विरोध देखकर पथ डगमगाता नजर आने लगता है और हिंदी के नाम पर देश के करोड़ों रुपयों की होनेवाली यह बरबादी कैसी रोकी जा सकती है? यह प्रश्न उसके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इसके साथ ही वास्तव में जो हिंदी-कार्यान्वयन का काम पूरे मनोयोग से करते हैं उन्हें सभी उपलब्धियों से वंचित रखकर, जिन्हें हिंदी से कतई प्यार नहीं, अभिमान नहीं, किंतु हाथ में अधिकार हैं, ऐसे व्यक्ति हिंदी के नाम पर फायदा उठाते हैं-यह चित्र भी स्थान-स्थान पर स्पष्ट दिखाई देता है। निम्न स्तर के अधिकार श्रद्धा और लगन से काम करनेवाले कर्मचारियों को कष्ट देकर जो कर्मचारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हें हिंदी के पुरस्कार दिलवाते हैं-यह चित्र भी कई स्थानों पर दिखाई देता है।

निष्कर्षतःस्पष्ट होता है कि हिंदी के नाम पर देश के करोड़ो रुपये हर वर्ष खर्च हो जाते हैं और हिंदी की प्रगति के खाते में तो कुछ जमा नहीं। हिंदी के नाम पर देश के पैसों का होनेवाला यह अपव्यय देखकर श्रद्धावान व्यक्तियों के मन को ठेस पहुँचती है।

## ३.१० हिंदी अनुभाग-उपेक्षित अनुभाग :

अधिकांश सरकारी कार्यालयों में हिंदी अनुभाग उपेक्षित अनुभाग दिखाई देता है। इस उपेक्षा की शुरुआत हिंदी के पदों पर की नियुक्ति से होती है। अधिकांश सरकारी कार्यालयों के इस अनुभाग में मंजूर पदों से कम संख्या में नियुक्तियाँ की जाती हैं। कुछ सरकारी कार्यालयों में तो पद मंजूर हैं किंतु नियुक्ति ही नहीं ऐसी भी स्थिति है।

कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी अनुभाग के लिए १ हिंदी अधिकारी एवं ३ कनिष्ठ हिंदी अनुवादक मिलकर चार पद मंजूर थे। तीन मंजूर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पदों में से दो पद दि. ३१-०१-२००१ से रद्द किए गए हैं। याने आज कोल्हापुर दूरसंचार के लिए हिंदी के मात्र दो पद मंजूर हैं। इन दो पदों में भी मात्र कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर दि. ३० जुलाई, २००१ से नियुक्ति की गई है। हिंदी अधिकारी पद मंजूरी की तारीख से आज तक रिक्त ही है। दि. १९ जनवरी, १९९८ से दि. ३० जुलाई २००१ तक कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग के सभी पद रिक्त थे। कोल्हापुर जिले में स्थित आयकर कार्यालय में भी हिंदी अनुभाग के लिए कुल पाँच पद मंजूर हैं। उनमें से मात्र एक पद सहायक-निदेशक(राजभाषा) का भरा हुआ है और अन्य सभी पद खाली हैं। उन्हें अकेले को मात्र आयकर कार्यालय के हिंदी अनुभाग का काम ही नहीं तो आयकर आयुक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होने के कारण समिति का काम भी देखना पड़ता है।

संविधान में ही अंग्रेजी के अनिर्बंध प्रयोग का प्रावधान करके हिंदी की उपेक्षा की गई है। नाम के लिए हिंदी राजभाषा है। सारी सत्ता अंग्रेजी के हाथ में ही है। राजभाषा होने पर भी अगर हिंदी उपेक्षित है, तो स्वाभाविक रूप से हिंदी अनुभाग उपेक्षित अनुभाग ही होगा।

कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में दि. १९ जनवरी, १९९८ से दि. ३० जुलाई, २००१ तक कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। तब हिंदी अनुभाग के कामकाज का वहन करने के लिए दूसरे संवर्ग के कर्मचारी(शोधार्थी) की नियुक्ति दि. २५ नवंबर, १९९८ से की गई। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ~~~~ उसने पाया कि हिंदी अनुभाग का स्वरूप बिखरा हुआ है। हिंदी पुस्तकालय एक स्थान पर तो कर्मचारी का टेबुल कहीं और। फाइलें रखने के लिए रैंक नहीं है। काफी दिन फाइलें जमीन पर रखनी पड़ी। टेबुल भी छोटा होने के कारण संपादक मंडल के सदस्य के साथ गृहपत्रिका करवीर संचार

का काम करते समय असुविधा का सामना करना पड़ता था। बार-बार की मौखिक माँग का कुछ परिणाम नहीं निकला तब लिखित माँग के ढाई साल बाद वस्तुएँ मिली।

शोधार्थी ने जब आयकर कार्यालय के हिंदी अनुभाग का निरीक्षण किया तब वहाँ भी यही दृश्य दिखाई दिया । एक छोटेसे कमरे में स्थित हिंदी अनुभाग को आधा कमरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कीओर से चलाए जानेवाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण केंद्र को देना पड़ा है। बचे-खुचे स्थान में दो अलमारियाँ, एक टेबुल रखा है। एक ही टेबुल पर सहायक निदेशक(राजभाषा) और उनकी सहायता करनेवाला लिपिक, दोनों काम करते हैं। उन्हें आयकर कार्यालय के हिंदी अनुभाग की जिम्मेदारी के साथ-साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य का वहन भी करना पड़ता है। वह सामग्री भी वहीं खचाखच भरकर रखी हुई है। इस प्रकार फर्नीचर और स्थान की दृष्टि से भी हिंदी अनुभागों की उपेक्षा की जाती है।

हिंदी अनुभाग की उपेक्षा करने के पीछे स्थित कारणों में यह भी एक है कि हिंदी अनुभाग उत्पादक (Productive)अनुभाग नहीं है। हिंदी अनुभाग पैसा कमानेवाला नहीं तो पैसा खर्चनेवाला अनुभाग है। इस प्रकार की शिकायत भी होती है।

शोधार्थी को यह भी दृष्टिगोचर हुआ है कि हिंदी अनुभाग एक उपेक्षित अनुभाग होने से वहाँ काम करनेवाले कर्मचारी डरपोक हो तो लाचार बनते हैं और चुप रहते हैं। साहसी हो तो उन्हें बार-बार संघर्ष करना पड़ता है और चालाक हो तो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाकर मात्र खुद का फायदा देखते हैं। कुछ कर्मचारी हिंदी का कार्यान्वयन तो होता नहीं है, कम-से-कम खुद का फायदा ही क्यों न देखे?-ऐसी सोच रखते हैं। शोधार्थी की धारणा है कि कर्मचारियों की उपर्युक्त स्थितियों का एवं विचारों का गंभीर परिणाम हिंदी-कार्यान्वयन के कार्य पर निश्चित रूप से होता है।

### ३.११ हिंदी-कार्यान्वयन का निरीक्षण-एक दिखावा :

संसदीय राजभाषा समिति, मुंबई की ओर से महाराष्ट्र के हर जिले के सरकारी कार्यालयों के हिंदी कार्यान्वयन का निरीक्षण किया जाता है। जिस सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करना होता है, उसे पहले निरीक्षण प्रश्नावली भेजी जाती है। उसके साथ ही निरीक्षण तिथि भी तय की जाती है। उस तिथि को समिति के सदस्य उस कार्यालय में जाकर निरीक्षण प्रश्नावली में लिखे उत्तरों के आधार पर

जाँच-पड़ताल करते हैं। प्रश्नावली में लिखे पत्राचार का प्रतिशत ठीक है या नहीं ? हिंदी कार्यान्वयन के कौन-कौन से नियमों का पालन और उल्लंघन किया जाता हैं, इन बातों का निरीक्षण किया जाता है।

कोल्हापुर दूरसंचार कार्यालय का आजतक एक बार भी निरीक्षण नहीं हुआ है। जुलाई, १९९० से कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी अनुभाग का प्रारंभ हुआ। तब से आज तक ११ सालों में कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी कार्यान्वयन का निरीक्षण नहीं हुआ है। जिन सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण हुआ है वहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि जिस तरह अधिकांश सरकारी कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन मात्र एक खानापूर्ति है। उसमें कोई जोश, उत्साह और श्रद्धा नहीं है। उसी तरह हिंदी-कार्यान्वयन का निरीक्षण भी मात्र एक खानापूर्ति ही प्रतीत होता है। उसमें भी आवश्यक गंभीरता एवं सत्यान्वेषण के दर्शन नहीं होते। अतः हिंदी-कार्यान्वयन का निरीक्षण मात्र फ्लॉप ड्रामा होने के कारण हिंदी-कार्यान्वयन को गति नहीं मिल रही है।

## ३.१२ स्थानीय भाषा का प्रभाव तथा प्रचलन :

कोल्हापुर की स्थानीय भाषा मराठी होने के कारण यहाँ के लोगों पर मराठी का प्रभाव अधिक है। आम जनता में अधिकांश किसान होने के कारण वे कम शिक्षित हैं। यहाँ की जनता अपनी मातृभाषा मराठी का ही अधिकांश प्रयोग आपसी व्यवहार में, घर-परिवार में करती हैं। अंग्रेजी का प्रभाव भी अधिक नहीं है। कुछ आम-प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किंतु अधिकतर सीधी-सरल मराठी का ही प्रयोग किया जाता है, जिसपर कर्नाटक राज्य समीप होने के कारण कन्नड़ का थोड़ा-बहुत प्रभाव जरूर है। उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र), कोल्हापुर दूरसंचार का इसके बारे में कहना है-
"कोल्हापुर के लोग हिंदी ठीक तरह से समझ नहीं पाते।"[1]

दूरदर्शन के कारण आज कल भारत के कोने-कोने में हिंदी पहुँच रही है। दूरदर्शन पर दिखाए जानेवाले हिंदी धारावाही घर-घर में रुचि से देखे जाते हैं। भारत के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र के घरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिंदी गाने ही अधिकतर सुने जाते हैं। लोग धीरे-धीरे हिंदी से परिचित तो हो रहे हैं, किंतु आज भी इस जिले में स्थानीय भाषा मराठी का ही अधिक प्रचलन है। अर्थात आम जनता अंग्रेजी से हिंदी में भेजे पत्र पढ और समझ सकती हैं और हिंदी-कार्यान्वयन का अर्थ

---

१. परिशिष्ट-२

ही यह है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना।

उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर जिले की आम जनता पर स्थानीय भाषा मराठी का ही अधिक प्रभाव एवं प्रचलन है। उनके लिए हिंदी अंग्रेजी जितनी ही कठिन है, जिससे हिंदी के कार्यान्वयन के प्रतिशत पर असर पड़ता है।

## ३.१३ दूरसंचार का निगमीकरण तथा निजीकरण :

दूरसंचार कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय था। किंतु १ अक्तूबर, २००० से उसका निगमीकरण हो गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड(भारत सरकार का उपक्रम) नाम धारण करके यह निम-सरकारी कार्यालय हो गया है। धीरे-धीरे दूरसंचार विभाग निजीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है।

निगमीकरण होने के पश्चात भी यह केंद्र सरकार का उपक्रम होने के कारण केंद्र सरकारी कार्यालयों, संगठनों, निगमों को लागू होनेवाले हिंदी-कार्यान्वयन के नियम-अधिनियम इसे लागू हैं। किंतु जैसे-जैसे इसका निगमीकरण से निजीकरण होता जाएगा, शायद हिंदी-कार्यान्वयन के नियम इसपर लागू नहीं होंगे। तब हिंदी अनुभाग बंद भी हो सकता है । ये सारी बातें तब सरकार और निजी कंपनी में हुए करार की शर्तों पर अवलंबित है। किंतु निजीकरण के पश्चात दूरसंचार में हिंदी-कार्यान्वयन का कोई भविष्य नहीं ऐसा लगता है।

अतः दूरसंचार के निगमीकरण से निजीकरण तक होनेवाले सफर के कारण हिंदी-कार्यान्वयन के कार्य में बाधा ही नहीं, यह काम बंद भी हो सकता है।

## निष्कर्ष:

हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात दृष्टिगोचर होता है कि इनमें से कुछ कारण सचमुच ठोस कारण हैं। किंतु कुछ कारण जो हैं, वे मात्र हिंदी कामकाज टालने के लिए की गई बहानेबाजी है। राजभाषा हिंदी की उपेक्षा करने की वृत्ति संविधान से लेकर सामान्य जनों तक फैली है। राजभाषा में काम करें या ना करें कोई ठोस बंधन ही नहीं।

हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याओं में वैधानिक प्रावधान में स्थित विसंगतियाँ, सरकारी नीतियों में स्थित खोखलापन, अंग्रेजी शिक्षा-माध्यम तथा तकनीकी समस्याएँ ठोस हैं। इन समस्याओं की ओर ध्यान देकर इनके स्थाई समाधान खोजने चाहिए।

अधिकारी एवं कर्मचारियो ं की हिंदी विरोधी मानसिकता के पीछे जो कारण हैं, वे अधिकतर खोखले हैं। हिंदी विरोधी मानसिकता के पीछे सबसे शक्तिशाली कारण है-राष्ट्रभाषाभिमान तथा अपराध बोध का अभाव। राष्ट्रभाषा का विरोध करना अपराध है, इस भावना का बोध जब हो जाएगा, तब लोग हिंदी का विरोध करते हुए शरमाएंगे। उन्हें हिंदी नहीं आती इस बात का अभिमान नहीं होगा और वे हिंदी सीखने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे।

सिद्धांततः सही है कि जहाँ चाह, वहाँ राह ! जब शिक्षित देशवासियों के मन में हिंदी को राजभाषा बनाने की तीव्र चाहत जगेगी तब अधिकांश समस्याओं के हल अपनेआप निकल आएंगे। किंतु उस दिन का उदय होने तक हिंदी नाम के लिए राजभाषा रहेगी और असली सत्ता अंग्रेजी के हाथ में ही रहेगी।

***